अंक - 14 , वर्ष - 2022

# राजभाषा विस्तारिका

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार भवन,
पूसा, नई दिल्ली–110012

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

(सदैव ऊर्जावानः निरंतर प्रयासरत)

# राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1960 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से, अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से, प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए, अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा- हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा! जय हिंद!

नरेन्द्र सिंह तोमर
**NARENDRA SINGH TOMAR**

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
**MINISTER OF**
**AGRICULTURE & FARMERS WELFARE**
**GOVERNMENT OF INDIA**

# अपील

प्रिय साथियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत–बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं ।

भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। हिंदी संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा है। भारत की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कामाख्या से कच्छ तक समझी और बोली जाती है।

आधुनिक दौर में, विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी ने भाषाओं को चुस्त–दुरूस्त एवं अधिक क्षमतावान किया है। यही कारण है कि आज संपर्क और संवाद का तरीका बदल गया है। जिस भाषाई तकनीक के कारण कल तक अंग्रेजी आदि भाषाएं अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही थीं, ठीक वैसा ही विस्तार आज हम हिंदी के संदर्भ में देख रहे हैं। इसी के साथ–साथ विज्ञान और तकनीक के मुद्दों से संबंधित प्रयास भी शामिल हैं, इससे तकनीकी ज्ञान और हिंदी को एक मंच पर लाने का लगभग अकल्पनीय समझा जाने वाला कार्य भी साकार किया जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है जिसके कारण इसमें सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में किया जाना अपेक्षित होता है। किसानों के हितों के लिए तैयार की जाने वाली नीतियां/योजनाएं भी मूलतः हिंदी में ही तैयार की जानी चाहिए ताकि सरकार द्वारा इनके माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं एवं नवीन प्रौद्योगिकी का लाभ समग्र कृषक समाज को मिल सके।

भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सामान्यतः सरकारी कामकाज में आधिकारिक हिंदी का प्रयोग हो। राजभाषा के प्रचार–प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रोत्साहन मिले।

मैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के साथियों/प्रभागाध्यक्षों से अपेक्षा करता हूं कि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी वरिष्ठगण अपना अधिकाधिक कार्य स्वयं हिंदी में करेंगे और अपने संबंधित अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2022

(नरेंद्र सिंह तोमर)

भारत सरकार
कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
कृषि विस्तार भवन, पूसा,
नई दिल्ली–110012

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Depatment of Agriculture & Farmers Welfare
Directorate of Extension
Krishi Vistar Bhavan,
Pusa, New Delhi-110012

# संदेश

विस्तार निदेशालय की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका 'राजभाषा विस्तारिका' के चौदहवें अंक के प्रकाशन पर आप सभी को हार्दिक बधाई।

हिंदी गृह पत्रिका 'राजभाषा विस्तारिका' निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साहित्यिक विचारों का समावेश है। भारत की विभिन्न भाषाएं इसकी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। सभी का अपना इतिहास रहा है। इन विविध भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। हिंदी देश में संपर्क भाषा के रूप में काम करती है।

हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। कार्यालय का अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। मुझे आशा है आप अपना कार्य हिंदी में करके निदेशालय को गौरवान्वित करेंगे।

मैं 'राजभाषा विस्तारिका' के नूतन अंक के लिए अपनी बहुमूल्य रचनाओं के माध्यम से योगदान देने वाले सभी रचनाकारों को धन्यवाद देता हूं। मैं हिंदी गृह पत्रिका के सफल संपादन के लिए पत्रिका से संबंधित अधिकारियों और संपादक मंडल को बधाई देता हूं।

भविष्य में भी इसी प्रकार 'राजभाषा विस्तारिका' हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान देती रहेगी।

हार्दिक शुभकामनाएं।

(सैम्युएल प्रवीण कुमार)
संयुक्त सचिव (विस्तार)

भारत सरकार
कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
कृषि विस्तार भवन
पूसा, नई दिल्ली–110012

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Depatment of Agriculture & Farmers Welfare
Directorate of Extension
Krishi Vistar Bhavan
Pusa, New Delhi-110012

# शुभकामनाएं

हिंदी भाषा देश की संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को समाहित किये हुए है।

हिंदी गृह पत्रिका 'राजभाषा विस्तारिका' का १४वां अंक जो इ–पत्रिका के रूप में निदेशालय के राजभाषा कार्यान्वयन में वृद्धि के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है, आप सभी को समर्पित है। यह गृह पत्रिका निदेशालय के पदाधिकारियों एवं विद्वान लेखकों के साहित्यिक विचारों का संगम है। यह पत्रिका निदेशालय के पदाधिकारियों को अपने रचनात्मक विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। मैं इस गृह पत्रिका में योगदान देने वाले सभी रचनाकारों को उनके लेखन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

मैं 'राजभाषा विस्तारिका' के इस नवीन अंक के संपादन के लिए संपादक मंडल को भी शुभकामनाएँ देता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(डॉ. वाई.आर. मीना)
अपर आयुक्त (विस्तार)

भारत सरकार
कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
कृषि विस्तार भवन
पूसा, नई दिल्ली–110012

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Depatment of Agriculture & Farmers Welfare
Directorate of Extension
Krishi Vistar Bhavan
Pusa, New Delhi-110012

# अभिनंदन

भारत एक बहुभाषी देश है। भाषा भावों की अनुगामिनी होती है। हिंदी भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हिंदी एक सरल व वैज्ञानिक भाषा है। हमारा दायित्व है कि हम राजभाषा का प्रचार–प्रसार करें व कार्यालय का अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें।

निदेशालय में हिंदी के कामकाज में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। हिंदी गृह पत्रिका 'राजभाषा विस्तारिका' में निदेशालय के पदाधिकारियों की भागीदारी उनके हिंदी प्रेम को दर्शाती है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी निदेशालय के सभी पदाधिकारी हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते रहेंगे और अपने सहकर्मियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

मैं 'राजभाषा विस्तारिका' के नूतन अंक के प्रकाशन पर विस्तार निदेशालय की ओर से सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। पत्रिका में सहयोग के लिए विद्वान लेखकों एवं सभी रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूं। पत्रिका के सफल संपादन के लिए मैं संपादक मंडल को भी बधाई देता हूं।

एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन।

मनीष भाटिया
निदेशक (प्रशासन)

भारत सरकार
कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय
कृषि विस्तार भवन
पूसा, नई दिल्ली–110012

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Depatment of Agriculture & Farmers Welfare
Directorate of Extension
Krishi Vistar Bhavan
Pusa, New Delhi-110012

# बधाई

निदेशालय की हिंदी गृह पत्रिका "राजभाषा विस्तारिका" के अंक–14 के इ–प्रकाशन पर विस्तार निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई।

यह हर्ष का विषय है कि निदेशालय की गृह पत्रिका "राजभाषा विस्तारिका" अंक–14 का इ–पत्रिका के रूप में प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका की विशेषता है कि इसमें शामिल लेख व रचनाएं निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं लिखी गई हैं जो निदेशालय के कर्मियों के राजभाषा प्रेम को दर्शाती है। मैं सभी पदाधिकारियों को उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के लिए धन्यवाद देती हूं। इस पत्रिका में हिंदी क्षेत्र के विद्वान लेखकों की रचनाओं को भी स्थान दिया गया है। मैं सभी लेखकों को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपनी रचनाओं के माध्यम से "राजभाषा विस्तारिका" के प्रकाशन में योगदान दिया, को हार्दिक धन्यवाद देती हूं। मैं पत्रिका संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देती हूँ और आशा करती हूं कि आगे भी आप सब अपनी रचनाओं के माध्यम से पत्रिका में सहयोग देते रहेंगे।

एक बार पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

दीपा

(दीपा पांडे)
उप निदेशक (प्रशासन)

## संपादकीय

निदेशालय की वार्षिक हिंदी पत्रिका राजभाषा विस्तारिका के 14वें अंक के माध्यम से मुझे आपसे संवाद करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परस्पर संवाद से ही हम सभी एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। इसी संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है – भाषा। हिंदी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज भाषा है जो सभी भाषाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रही है और भारत की संस्कृति, कला, संप्रदाय, समाज तथा संस्कारों को एक कड़ी में जोड़ती है।

आज के युग में जो भाषा कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य टूलों के साथ नहीं चल सकती, उस भाषा के धीरे–धीरे लुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, किंतु हिंदी विज्ञान तथा तकनीकी दृष्टि से समृद्ध भाषा है। इसे जन–जन की भाषा बनाने के लिए निरंतर नए टूल तथा ऐप का आविष्कार किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। राजभाषा विभाग के इन प्रयासों में लीली ऐप, ई–महाशब्दकोश, श्रुतलेखन आदि ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से बड़ी आसानी से हिंदी भाषा सीखी जा सकती है। हमारा कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व भी है कि हम भारत सरकार के इन प्रयासों को सफल बनाएं और हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार को आगे बढ़ाएं।

'राजभाषा विस्तारिका' का नवीन अंक आप सभी के समक्ष है। पत्रिका में सहयोग के लिए मैं सभी रचनाकारों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं जिनके सहयोग के बिना पत्रिका का प्रकाशन संभव नहीं है। आशा है कि आपको पिछले अंको की भांति पत्रिका का यह अंक भी पसंद आएगा और आप अपने बहुमूल्य विचारों तथा अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि–

हमारी आन, हमारी शान और चेतना है हिंदी,<br>
हमारी वर्तनी, हमारी व्याकरण और संस्कृति है हिंदी।<br>
हमारी अमिट पहचान है हिंदी,<br>
हमारी आन, बार और शान है हिंदी।

(अभिनंदन कुमार स्वर्णकार)<br>
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अंक–14, वर्ष–2022

# राजभाषा विस्तारिका

**परामर्श मंडल**

**डॉ. वाई.आर. मीना**
अपर आयुक्त (विस्तार)

**मनीष भाटिया**
निदेशक (प्रशासन)

**सुधीर कुमार श्रीवास्तव**
संयुक्त निदेशक (कृ.सू.)

**संपादक**

**अभिनंदन कुमार स्वर्णकार**
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

**सहयोग**

**अनुपम कुमार**
आशुलिपिक

**आदित्य नारायण**
एमटीएस

**कला कार्य**

**एस.एस. नेगी**
मुख्य कलाकार

**सुचित्रा**
वरिष्ठ कलाकार

**संपर्क सूत्र**

हिंदी अनुभाग
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कृषि विस्तार भवन, पूसा,
नई दिल्ली–110012
फोनः 011 – 25843787

## विषय सूची

| क्र.सं. | | पृ.सं. |
|---|---|---|
| | **विभागीय रचनाएं** | |
| 1 | राजभाषा – एक संवैधानिक दायित्व | 10 |
| 2 | गंगा जल – डॉ. शैलेश कुमार मिश्र | 14 |
| 3 | हम बड़े हो गये हैं – एस. भानुमति | 16 |
| 4 | नेत्रदान – दीपा पांडे | 17 |
| 5 | किसानों के लिए नए द्वार खोलती योजना...– सुधीर कुमार श्रीवास्तव | 18 |
| 6 | गीत गाए जा – सुधीर कुमार श्रीवास्तव | 20 |
| 7 | हिंदीः स्वतंत्र व्यक्तित्व, सुरक्षित अस्मिता – अभय शंकर पाठक | 21 |
| 8 | जीवन गंध – साधना सुनील पाठक | 22 |
| 9 | मेरी विस्तार निदेशालय की यात्रा – संगीता शर्मा | 23 |
| 10 | बच्चों की शैतानी कभी–कभी बहुत महंगी पड़ती है – संगीता शर्मा | 26 |
| 11 | शब्द – जीवन निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई – ज्योति जदली | 27 |
| 12 | मिट्टी के दीये – उदय प्रताप सिंह | 28 |
| 13 | आधुनिक भारत में राजभाषा हिंदी का महत्व – अनुपम कुमार | 29 |
| 14 | ग़ज़ल – आभास मिश्रा | 29 |
| 15 | कृष्ण – दिवाकर | 30 |
| 16 | व्यायाम – आशारानी | 32 |
| 17 | कृषि में महिलाओं का योगदान – अनूप कुमार | 33 |
| 18 | मिट्टी परिक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड – रुद्रप्पा ऐल्ली | 35 |
| 19 | विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां | 38 |
| 20 | स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी – अभिनंदन कुमार स्वर्णकार | 43 |
| 21 | चिंता और तनाव से मुक्ति के उपाय – एस.एस. नेगी | 45 |
| | **सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की रचनाएं** | |
| 22 | अमानत – किशोर श्रीवास्तव | 47 |
| 23 | पोर्टब्लेयर (हैवलॉक), अंडमान निकोबार द्वीप समूह – सविन्द्र कुमार | 51 |
| | **अतिथि रचनाकार** | |
| 24 | सिंगल यूज प्लास्टिक – एक भयानक खतरा – उदय प्रताप सिंह | 55 |
| 25 | हिंदी प्रौद्योगिकी – समय की आवश्यकता – प्रो. रवि शर्मा 'मधुप' | 57 |
| 26 | तकनीकी विषय और राजभाषा – वर्तमान स्थिति – राकेश कुमार | 59 |
| 27 | हिंदी भाषा – गौरीशंकर वैश्य 'विनम्र' | 63 |
| 28 | गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णु...... – सुरेखा शर्मा | 64 |
| 29 | निदेशालय में नियुक्त/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का विवरण | 67 |

राजभाषा विस्तारिका में प्रकाशित रचनाओं आदि में प्रस्तुत किए गए विचारों से संपादक मंडल अथवा निदेशालय का सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता और उसमें प्रस्तुत तथ्यों आदि की यथार्थता के लिए भी संबंधित लेखक पूरी तरह जिम्मेवार होंगे – संपादक मंडल

सूचना : राजभाषा विस्तारिका के अंक–15 हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ज्ञानवर्धक व उपयोगी रचनाएं अप्रकाशित की घोषणा सहित इमेल के माध्यम से आमंत्रित हैं।
इ–मेल : rajbhashavistarika@gmail.com

# राजभाषा – एक संवैधानिक दायित्व

भारत के संविधान के भाग 1 में पहले अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। (2) राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। (3) भारत के राज्य क्षेत्र में, (क) राज्यों के राज्य क्षेत्र, (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट होंगे। (भारत का संविधान पृ. 2)

**अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा–**

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

**अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश–**

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इसी क्रम में राजभाषा अधिनियम 1963 जारी किये गये।

**राजभाषा नियम 1976**

**राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि–**

केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

**केंद्रीय सरकार के कार्यालय से–**

क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य सा संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या

संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परंतु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे।

**केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि–**

केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और किसी एक दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर अवधारित करे;

क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिंदी में होंगे;

क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे;

क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे;

परंतु जहां ऐसे पत्रादि–

क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा; परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

**हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर–**

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

**हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग–**

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

**आवेदन, अभ्यावेदन आदि –**

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए

गए हों, तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा ।

यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

**केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना–**

कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे ।

केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं ।

यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय, प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

**हिंदी में प्रवीणता–**

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

**हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान–**

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

**मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि–**

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।

केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी

कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

**अनुपालन का उत्तरदायित्व–**

केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

**राजभाषा विभाग की स्थापना**

राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं–

संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है ।

किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र–पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।

संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठयक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।

केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।

संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।

संकलन : स्मारिका
(13–14 नवंबर, 2021) *राजभाषा विभाग*

"भाषा के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है।

# गंगाजल

–डॉ. शैलेश कुमार मिश्र

अमेरिका में एक लीटर गंगाजल 250 डॉलर में क्यों मिलता है ? सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर की दवा से खांसी ठीक नहीं होती तब कहा जाता है कि गंगाजल पिला कर देख लो।

गंगाजल मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। हमने तो यह तक सुना है कि कई रोगों का इलाज है गंगाजल। दिन में तीन बार दो–दो चम्मच गंगाजल पीने पर तीन दिन में खांसी ठीक हो जाती है। यह अनुभव है, हम इसे गंगाजल का चमत्कार नहीं मानते बल्कि गंगाजल के औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं।

कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर गंगाजल का सेवन करता था और मेहमानों को भी गंगाजल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे, तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि गंगाजल सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था।

करीब सवा सौ साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एम.ई. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ देर में ही मर गया। दिलचस्प तो यह है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गज़ब की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) के निदेशक डॉ. चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई–कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। इस विषय पर डॉ. नौटियाल का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है।

गंगा, जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज पदार्थ, तरह–तरह की जड़ी बूटी से ओत–प्रोत हो जाती है जिससे कुछ ऐसा मिश्रण बनता है, जिसे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं। डॉ. नौटियाल ने परीक्षण के लिए तीन तरह का गंगाजल लिया। तीनों तरह के गंगाजल में उन्होंने ई–कोलाई बैक्टीरिया डाला। डॉ. नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगाजल में बैक्टीरिया तीन दिन जीवित रहा, आठ दिन पुराने पानी में एक हफ्ते और सोलह वर्ष पुराने पानी में 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगाजल में ई–कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया।

वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता आती कहाँ से है ?

दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले आईआईटी, रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरुप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हज़म करने की क्षमता 15 से 20 गुना अधिक है।

गंगा 'माता' इसलिए है कि गंगाजल अमृत है, जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते तब तक भारतीय उसे सत्य नहीं मानते। भारतीय लोग सनातन ग्रन्थों में लिखी किसी भी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि न कर दे। इसलिए इस आलेख के तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा बीबीसी हिंदी सेवा पर दिये गये वक्तव्य से लिये गये हैं।

हर हर गंगे...

*निदेशक (विस्तार)*
*विस्तार निदेशालय*

# हम बड़े हो गये हैं

–एस. भानुमति

हम बड़े हो गये हैं
मैं नहीं मानती,
जब सूरज की लाल किरणें आसमान छूती
तब वही हर्ष होता, जो बचपन में होता
जब खिलते फूलों को देखती
तब वही खुशी मिलती, जो बरसों पहले होती
जब रिम–झिम पानी बरसते
तब वही मन, वैसे ही आनंद से झूम उठता
जब मंडराते भंवरों को,
फड़फड़ाती तितलियों को व
कोयल की मधुर वाणी को सुनती,
तब वही उल्लास होता, जो बरसों पहले होता था
हाँ, आखिरी बात...
जब हम घर से निकले
और बड़े बोले, 'संभल के जाना'
तब भी मैं नहीं मानती
हम बड़े हो गये हैं !!
लेकिन
मन जब पिघलता भीख मांगते छोटे बच्चों को देखकर
जब दूसरे नौजवान युवक–युवती में
अपने बच्चे दिखने लगते।
जब आँखों में आँसू आते
दूसरे के दुःख देखकर
जब दर्द, खुद को महसूस होता
पराए व अपनों के दर्द देखकर
जब सूखे पड़े पौधों को देखकर
खुद का गला सूख जाता
जब चिड़ियों को अन्न डाले बिना
खुद खाने की इच्छा न होती
जब भगवान के सामने उनके
अनन्त कल्याण गुण व लीला को यादकर
बिना सोचे–समझे दुनिया भूलकर
आँखों से आँसू स्वतः बहते
तब समझ पाई कि हम बड़े हो गये हैं।
जब स्नेह, दया, करुणा,
सहानुभूति व भक्ति मन में बढ़ती
जब ईर्ष्या क्रोध, गुस्सा,
व लालच मन से हटता
तब समझ आया कि हम बड़े हो गये हैं।
उम्र से नहीं बल्कि मन व हृदय से।
हाँ, हम बड़े हो गये हैं बल्कि
यह पता ही नहीं चला कि हम कब बड़े हो गये हैं।

*उप निदेशक (लेखा),*
*विस्तार निदेशालय*

# नेत्रदान

*–दीपा पांडे,*

जिंदगी के अंत में,
ये नेत्र हैं किस काम के।
आओ करें प्रतिज्ञा,
इन चक्षुओं को दान दें।
इस जन्म के अवसान पर,
इक काम ऐसा कर सकें।
दूसरों को ज्योति देकर,
पुण्य हासिल कर सकें।
जिंदगी के अँधेरे से,
दो जनों को उबार तू।
देख ले इस जन्म में,
वह भी यह रंगीन संसार।
आत्मा के साथ–साथ,
आँखें अमर हो जाएंगी।
नेत्रहीनों की जिंदगी में,
रोशनी फैलाएंगी, रोशनी फैलाएंगी

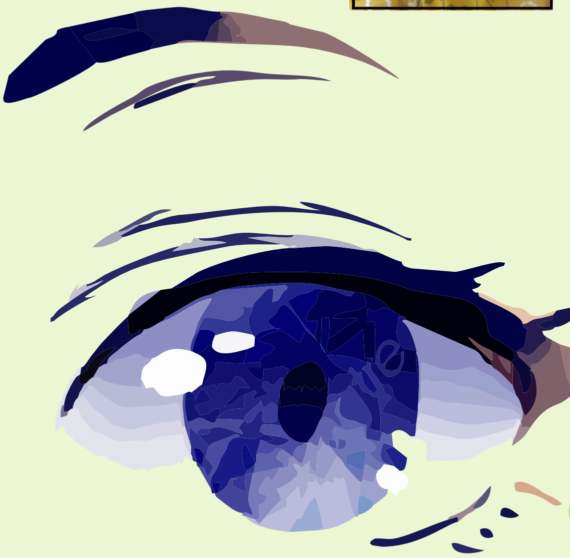

उप निदेशक (प्रशासन)
विस्तार निदेशालय

# किसानों के लिए नए द्वार खोलती योजना – 'कृषि अवसंरचना कोष'

– *सुधीर कुमार श्रीवास्तव*

भारतीय कृषि परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। कृषि के क्षेत्र में हो रहे बदलाव का श्रेय किसानों की सकारात्मक सोच के साथ–साथ केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना है। कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से उठाये गये प्रभावी कदम अब परिणाम देने लगे हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार ने कई नई कृषि योजनाएं, उपहार के रूप में दी हैं। निःसंदेह जब सरकार एवं मंत्रालय की दिशा और लक्ष्य एक हो जाता है तब योजनाओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों के बेहतर संयोजन से आशानुरूप परिणाम आने लगते हैं। आज किसान नवोन्मेषी बन रहा है। नए–नए नवाचारों से अवगत होते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा चुका है और बेहतर जीवन के लिए कृषि को पेशे के रूप में अपना रहा है। योजनाओं में यह झलक साफ दिखाई देती है कि मंत्रालय एवं सरकार, किसानों के प्रति समर्पण तथा ईमानदारी से कार्य कर रही है। योजनाओं की इसी कड़ी में किसानों हेतु फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मई, 2020 में माननीय वित्तमंत्री द्वारा एक लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा से कृषि अवसंरचना कोष योजना की शुरूआत हुई। इस वृहद योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों और स्टार्ट–अप आदि को कृषि अवसंरचना कोष परियोजना के लिए वित्तीय सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं।

कृषि विकास को गति देने के लिए और उसे नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं किसानों की प्राथमिकता के रूप में है। किसान तभी बेहतर अवसर पा सकता है जब उसके उत्पाद को अधिकतम मूल्य और उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान से बचाया जा सके और उपज का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस मुद्दे पर सरकार की रचनात्मक सोच का परिणाम है कि कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरूआत हुई। कृषि अवसंरचना के विकास से प्रकृति की अनिश्चितताओं, क्षेत्रीय असमानताओं, मानव संसाधन के विकास और सीमित भूमि संसाधन का उपयोग हुआ है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण सुविधा जुटाने के लिए यह योजना किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत की जनसंख्या की लगभग 58 प्रतिशत आबादी की प्राथमिक आय का स्रोत कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां ही हैं। देश में दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले 85 प्रतिशत किसान हैं और वे लगभग 45 प्रतिशत कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं और इनमें अधिकांश किसानों की वार्षिक आय बहुत कम है। सूत्र यह भी बताते हैं कि भारत को बाजारों से जोड़ने के लिए सीमित बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। यही कारण है कि किसानों की उपज का 15 से 20 प्रतिशत भाग खराब हो जाता है। जो अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। भारत में कृषि में निवेश लगभग स्थिर रहा है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की योजना को किसान हित में बनाना प्रासंगिक बन गया है।

देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कटाई उपरांत प्रबंधन द्वारा किसानों की आय में वृद्धि का नया द्वार खुला है। अब किसान अपने उत्पाद

इन कृषि अवसंरचना में कटाई उपरांत रख सकेंगे और उचित मूल्य मिलने पर बगैर बिचौलियों के किसी भी बाजार में अधिकतम मूल्य में बेच सकेंगे। निश्चित ही सरकार का यह कदम किसानों की आय में सुधार को नया आयाम देगा। यह कदम किसानों को स्वतंत्र भी बनाएगा और बाजार तक पहुंचने में समर्थ भी करेगा।

सरकार द्वारा क्रियान्वित इस योजना में आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की उपलब्धता के कारण किसान अपने उत्पाद बाजार में कब बेचे, इसका निर्णय लेने के लिए भी वह स्वतंत्र होगा, जो उसकी बेहतर जीविकोपार्जन की दिशा में सही एवं निर्णायक कदम है। यह योजना खुशहाल भारत के समृद्ध किसान की हवा को तेज करेगी। यह योजना सामुदायिक कृषि संपत्तियों में वृद्धि करेगी और किसानों के कृषि इनपुट में कमी लाएगी। केन्द्र व राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि बुनियादी ढाँचे में निवेश को आकर्षित करने में व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं की संरचना करने में समर्थ होंगीं।

यह योजना वर्ष 2020–21 से 2029–30 तक चलेगी। पहले वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये के साथ अगले तीन वित्तीय वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये का वितरण होगा और अधिकतम 7 वर्षों के लिए दो करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ब्याज अनुदान के रूप में 3 प्रतिशत वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत आपूर्ति श्रृखंला सेवाओं सहित ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म, गोदाम, साईलोस, पैक हाउसेज, परख इकाइयाँ, यूनिट छंटाई और श्रेणीकरण इकाइयां, कोल्ड चेन्स, लॉजिस्टिक सुविधा, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र एवं पकने वाले कक्ष आदि के ढाँचे बनाने की सुविधा इस योजना में शामिल हैं। इसी प्रकार सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति बनाने के लिए व्यवहार्य परियोजना के अन्तर्गत जैव आदानों का उत्पादन, जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयाँ, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा, निर्यात समूहों सहित फसलों के समूह के लिए आपूर्ति श्रृखंला और अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं आदि भी इस योजना के अंतर्गत लाये गये हैं।

इस योजना में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वित्त पोषण सुविधा प्रदान करने की पात्र हैं। इसी प्रकार वित्त पोषण की सुविधा के पात्र लाभार्थियों में प्राथमिक ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, किसानों, संयुक्त देयता समूहों बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और केन्द्र/राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि शामिल है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि योजना में व्यय विभाग द्वारा 20 हजार करोड़ रुपये के वितरण के पूरा हो जाने के बाद मध्य अवधि में सुधार और मूल्यांकन, आवश्यकता होने पर की जाएगी। थर्ड पार्टी स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यकता होने पर कराए जाने का प्रावधान है।

सरकार का प्रयास है कि जानकारी और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भाग लेने वाले, ऋण देने वाले संस्थानों के सहयोग से एक ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन एमआईएस प्लेटफार्म के द्वारा किया जायेगा और यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा। यह प्रणाली कई बैंको द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की पारदर्शिता, ब्याज सहायता और प्रस्तावित क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया सहित अन्य योजना लाभों सहित एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगी।

इस योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए समय की निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वित्तीय सुविधा के तहत सृजित सभी संपत्तियां को जियो टैग किया गया है और जिला निगरानी समिति और संबंधित ऋण देने वाली संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी जियो टैग की संपत्तियों की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध रहे।

*संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना),*

*विस्तार निदेशालय*

# गीत गाए जा

*–सुधीर कुमार श्रीवास्तव*

मिल गई जो जिंदगी, उसी के गीत गाए जा,
कर मोहब्बत इस जमीं से, गीत नए गाए जा।।
आज जो तुझे मिला, उसी के गीत गाए जा,
साथ जिसका मिल सके, उसी का गीत गाए जा।।
राह तो कठिन मगर, कदम–कदम बढ़ाए जा,
कारवां बना रहे, यही तो गान गाए जा,
जीत में यकीन रख, धैर्य को बनाए जा।।
मार्ग को कठिन समझ, हौसला बनाए जा।।
जो बढ़ चला, पहुंच गया, हार से बचाए जा,
थके मगर रुके नहीं, हार से डरें नहीं, जोश को बनाए जा।।
होश, जोश बना रहे, सुगीत, जीत बनाए जा।।
सफल बने यह जिंदगी, यही गीत गाए जा
मिल गई जो जिंदगी, उसी के गीत गाए जा...

*संयुक्त निदेशक (कृषि सूचना)*
*विस्तार निदेशालय*

# हिंदीः स्वतंत्र व्यक्तित्व, सुरक्षित अस्मिता और विकास की आवश्यकता

*–अभय शंकर पाठक*

प्रत्येक मनुष्य को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, सुरक्षित अस्मिता तथा अपने विकास की आवश्यकता होती है जो विभिन्न कालखंडों के अध्ययन व उनकी सफलता के बिंदुओं को बारीकी से समझने और उनसे शिक्षा लेकर वर्तमान की समस्याओं का निदान कर ही मनुष्य प्राप्त करता है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है और भारत की पहचान है और यह हमारे जीवन मूल्यों के विकास, संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहक, संप्रेषक और परिचायक है। बहुत सहज, सरल और सुगम भाषा होने के साथ–साथ हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा भी है। हिंदी बोलने वालों की संख्या देश और विदेश दोनों में काफी अधिक है।

हिंदी में वैज्ञानिकता, प्रौद्योगिकी और नए आगंतुकों के प्रति संप्रेषणता पूरी जीवंतता के साथ मौजूद है। एक भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करें तो यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। किसी भी भाषा के विकास में उस समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जहां पर वह बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में उत्तर भारतीय राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और भाषा के विभिन्न काल खंडों में अलग–अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है। अपनी सरलता व सुगमता के कारण आज हिंदी विश्व की नंबर वन भाषा बनने की ओर तेजी से अपना कदम बढ़ा रही है।

अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी भारतीय पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच का एक सेतु है जिसके सहारे हम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, सुरक्षित अस्मिता तथा विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा था, *'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी'*।

*सहायक संपादक*

*विस्तार निदेशालय*

# जीवन गंध

–साधना सुनील पाठक

आज प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। हर क्षेत्र, अध्ययन हो या अध्यापन, क्रीडा हो या कला क्षेत्र, जीवन जीने का सवाल हो या मौजमस्ती का, हर क्षेत्र में बस प्रतिस्पर्धा ही दिखाई देती है।

इस प्रतिस्पर्धा की वजह से संघर्ष होता है। इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप हम चिंता, मानसिक व्याधि, कार्य में असफलता एवं निष्क्रियता का शिकार हो रहे हैं और जीवन का आनंद लेना ही भूल रहे हैं। हर समय श्रेष्ठत्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रदर्शन पर ध्यान देने के बजाय लोग प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दे रहे हैं जिसके कारण वे अपना श्रेष्ठतम दे पाने में पिछड़ रहे हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति खुद को सफलता के शिखर पर देखना चाहता है। इसके लिए कड़ी मेहनत व प्रयास भी करता है और जब वह सफल नहीं हो पाता तब उसे शिकायत रहती है कि उन्हें परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता। यदि ऐसा हो रहा है तब व्यक्ति को सर्वप्रथम जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए। लक्ष्य ही जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। जब आप सही दिशा में, सही लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब आपको अपनी मंजित जरूर मिलती है। इसके लिए निरंतर अपने कार्य में लगे रहना होगा और प्रयास जारी रखने होंगे। भविष्य में अच्छे कार्यों के प्रति रुझान बनाए रखना होगा।

किसी भी क्षेत्र में प्रगति पथ पर चलने के लिए निष्कपट स्पर्धा आवश्यक है। एक–दूसरे के कष्ट, प्रयास को देखकर, उनकी उन्नति देखकर, खुद की प्रगति की चाह व उत्साह बना रहता है। असली स्पर्धा तो खुद की खुद से होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कला हो या गायन, वादन हो या पेंटिंग, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपने सर्वोत्तम प्रयासों से ही पूर्णता प्राप्त करता है।

योगाभ्यास के बारे में भी यही कहा जा सकता है। योग में नियंत्रण बहुत जरूरी है। आसनों द्वारा शरीर में भोजन कोशिका को नियंत्रित करके, प्राणायाम द्वारा प्राणमय कोशिका को नियंत्रित करके, प्रत्याहार द्वारा मानसिक कोशिका को नियंत्रित करके, नियंत्रण की गुणवत्ता को बढ़ाकर, अंत में मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है ।

जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है तभी योग साध्य हुआ ऐसा मान सकते हैं। अध्यात्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति को उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करना चाहिए। जब व्यक्ति सगुण की उपासना करता है और अनन्य भक्तिभाव के साथ खुद को भगवान के प्रति समर्पित करता है, तब उसे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने का रास्ता सहज मिल जाता है। व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है।

इस सन्दर्भ में श्रीमद् व्यासजी का कहना है–

*"अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, परोपकारः*
*पुण्याय पापाय परपीडनम्"*

अर्थात् अठारह पुराणों का सार श्रीमद् व्यासजी ने दो वाक्यों में बताया है – पुण्य और पाप। परोपकार करने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के लिए काम करते हैं।

*सहायक प्रशासनिक अधिकारी*
*विस्तार निदेशालय*

# मेरी विस्तार निदेशालय की यात्रा

*–संगीता शर्मा*

विस्तार निदेशालय की मेरी यात्रा बहुत विचित्र व रोचक है। आइए अपनी इस यात्रा अर्थात सेवाकाल के दौरान की कुछ यादें ताजा करते हैं। विस्तार निदेशालय की स्थापना सन् 1958 में हुई थी। मेरे पिताजी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इस कार्यालय में उप निदेशक (प्रशासन) के पद अपना कार्यग्रहण किया था। बाद में 04 जुलाई, 1984 को मेरी नियुक्ति भी इसी कार्यालय में हुई। इससे पहले मैं एक गैर सरकारी संगठन में कार्य करती थी। मैं अपने सहकर्मियों के साथ इतना घुलमिल गई थी कि वे नहीं चाहते थे कि मैं संगठन छोड़कर अन्यत्र कहीं जाऊं। सरकारी नौकरी का ऑफर मिलने पर मैं बहुत खुश थी और मैंने यह बात अपने सभी मित्रों को बताई कि मुझे उसी कार्यालय में जॉब ऑफर हुई है जहां मेरे पिता जी कार्यरत हैं। मेरे सहकर्मियों द्वारा मुझे समझाया जाने लगा कि मुझे यह जॉब नहीं स्वीकारनी चाहिए क्योंकि यहां मैं अपने पिता के नाम से जानी जाऊंगी आदि–आदि। उस समय मेरी आयु मात्र 21 वर्ष रही होगी। मुझे अपने दोस्तों की बात सच लगने लगी थी, लगा कि सब ठीक कह रहे हैं। घर आकर मैंने अपने पिताजी से निदेशालय में काम न करने की इच्छा जताई। ईश्वर की कृपा देखिए, तभी मेरे पिताजी का चयन प्रतिनियुक्ति आधार पर लेडी हार्डिंग अस्पताल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर हो गया और उन्होंने 29 जून, 1984 को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मैं जो चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ अब मेरे पास इस नौकरी को न करने का कोई बहाना न था, मैंने निदेशालय में अपना कार्यभार संभाल लिया।

शुरू–शुरू में निदेशालय में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ दिन परेशान भी रही। आशुलिपिक का कार्य करने के अलावा मैं वहां फुटकर रोकड़ (imprest money) का कार्य भी देख लेती थी। उसके अलावा वहां टैलैक्स, टेलिफोन बोर्ड, फ्रैंकिंग मशीन चलाना आदि जैसे सारे कार्य भी मैंने सीख लिये थे। इसी कारण मैं वहां (पिछली नौकरी में) 'मल्टी परपस' नाम से जानी जाती थी।

मैनें निदेशालय में ज्वाइन तो कर लिया पर मेरा मन उसी संगठन को समर्पित था। वहां मुझे सम्मान मिलता था और यहां मैं श्री शर्मा जी की बेटी कहलाती थी। समय बीतता गया। अब मन भी मान चुका था कि मुझे यहीं काम करना है, धीरे–धीरे काम में मन लगने लगा। निदेशालय में मुझे सभी अनुभागों में काम करने का मौका मिला। पदभार ग्रहण करने के समय मैं प्रशासनिक एकक में थी और अब जब सेवा निवृत्ति का समय पास आ रहा है, मैं प्रशासनिक एकक में कार्यरत हूं। बीच के कुछ समय मुझे अन्य एककों में भी काम करने का मौका मिला। निदेशालय में मैंने कई अधिकारियों के साथ काम किया है। सभी अधिकारियों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। एक समय तो ऐसा भी था जब एक आशुलिपिक को दो या दो से अधिक अधिकारियों का कार्य

देखना होता था। कार्यालय में जो भी कार्य मुझे सौंपा गया मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम पूरा किया। कभी यह नहीं सोचा कि यह काम मेरा नहीं है तो मैं क्यों करूं ? काम के लिए मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। आज जब कोई कहता है कि मुझमें मेरे पिता जी के जीन्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।

मुझे कार्यालय में आए तकरीबन चार वर्ष हो गए थे। मेरा विवाह भी हो चुका था। अब कार्यालय में पुराने लोगों के साथ–साथ नए लोग भी जुड़ने लगे थे। पुराने कर्मी मेरे पिताजी को जानते थे। मेरे पिता जी बड़े शर्मा जी और मेरे पति छोटे शर्मा जी कहलाते थे। एक बेटी को जो सम्मान अपने मायके में मिलता है निदेशालय में मुझे उससे भी कहीं अधिक सम्मान मिला है।

जब मैंने कार्यालय में कार्य ग्रहण किया था तब सब मेरे अंकल, भाई साहब, आंटी थे। अब जब मेरी सेवानिवृत्ति का समय नज़दीक आ रहा है। कई नए कर्मचारियों ने कार्यालय में ज्वाइन किया है। मैं सबको बेटा कहती हूं। मैंने कार्यालय के सभी पदाधिकारियों को इज्जत दी है और मुझे खुशी है कि जितनी इज्जत मैंने दी है उससे कहीं अधिक पाई भी है। अभी कुछ समय पहले की बात है नया कर्मचारी

उत्तम कुमार इस कार्यालय से रिलीव होकर दूसरे कार्यालय में गया। अपनी विदाई पार्टी में उसने मुझसे कहा, मैडम मैं आपके व्यवहार को देखकर आपको आंटी बुलाना चाहता हूं परंतु प्रोटोकॉल नहीं है। जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैंने कहा, आप मुझे आंटी नहीं बुला सकते पर मैं तो आपको बेटा कह सकती हूं। वह बच्चा उसी समय मेरे आगे झुक गया। कुल मिलाकर इस निदेशालय की यात्रा अत्यंत मज़ेदार रही।

मेरी यह यात्रा अधूरी रह जायेगी यदि मैं अपने परिवार के अंशदान के विषय में बात नहीं करूंगी। इस यात्रा को सफल बनाने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पुरुष की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है वैसे ही स्त्री की सफलता के पीछे उसके पतिदेव का हाथ होता है। मेरे पूरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरी इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं अपनी प्यारी बहन की सदा अभारी रहूंगी जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ निभाया। वर्ष 2017 में मेरी सासू मां गिर गईं और डॉक्टर ने 24 घंटे उनकी देखरेख करने को कहा। अब मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो 24 घंटे मेरी सासू मां की देखभाल कर सके। मैं नौकरी में हूं मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा पढ़ता था ऐसे में सेवा के लिए मुझे ही नौकरी छोडनी पड़ती। पर मेरी दुलारी बहिन, जो 2008 से हमारे घर में काम कर रही थी उसने बखूबी मेरा साथ निभाया। आज मेरे ससुर जी बिस्तर पर हैं उनकी देखभाल भी आज वही करती है। काम के प्रति वफ़ादारी और अपने स्वभाव के कारण आज वह मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। मैं इस सहयोग के लिए सदा उनकी आभारी रहूंगी।

अंत में अपने साथियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम जितना सीख सको सीखो। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी न कभी काम आ ही आती है। हमें सभी का, छोटे हों या बड़े, सम्मान करना चाहिए। गुस्से से केवल नुकसान ही होता है, बीमारियां लग जाती हैं। आपके व्यवहार के कारण सेवानिवृत्ति के बाद भी आप अपने काम और अपने व्यवहार से जाने

जाओगे। हम अपना ज्यादातर समय कार्यालय में व्यतीत करते हैं। सुख–दुःख सबके जीवन में आते हैं। हम किसी के दुःख को बांट सकें, कम कर सकें, किसी के काम आ सकें तो इससे बढ़कर प्रसन्न्ता क्या हो सकती है। मेरी ज़िंदगी का ध्येय तो यही है। जिसकी मदद कर सको, करो। जब आपको मदद की जरूरत होगी तब ईश्वर किसी न किसी को तो आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। यह मेरी अजमाई हुई युक्ति है। आप भी आजमाकर देखिए, अच्छा महसूस करेंगे।

*आशुलिपिक*
*विस्तार निदेशालय*

# बच्चों की शैतानी कभी–कभी बहुत महंगी पड़ती है...

–संगीता शर्मा

बात लगभग 50 वर्ष पुरानी है। उस समय लोग एकसाथ संयुक्त परिवार में, मिल–जुलकर प्यार से रहा करते थे। मैं महज 6–7 वर्ष की रही हूंगी। हम सरोजिनी नगर के एक सरकारी आवास में रहते थे। पहले मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। आज की तरह न तो टेलीविजन था और न ही मोबाइल फोन की सुविधा। टेलीविजन तो सिर्फ इक्का–दुक्का घरों में ही होते थे और मोबाइल के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। आस–पड़ोस के बच्चे मिल–जुलकर कॉलोनी के मैदान में खेला करते थे।

अभी कुछ दिन पहले ही दशहरा और दीपावली का त्यौहार निकला था। शाम का समय था। हम सब बच्चे एकसाथ खेल रहे थे। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता था। जिसका नाम बिट्टू था जो मुझसे उम्र में 2–3 वर्ष बड़ा होगा। बिट्टू ने मेरे चाचा जी के बेटे, जो मुझसे तीन माह छोटा था, से कहा, रमेश तू मुंह में बम रख ले और उसकी तुर्री (बाती) मुंह से बाहर निकाले रखना मैं उसमें आग लगाऊंगा, तेरा सिर रावण की तरह उड़ जायेगा कितना मज़ा आएगा। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं और हाल ही में रावण जलता हुआ देखा भी था। सब बच्चे रोमांचित हो उठे और रमेश से मुंह में बम रखने की जिद करने लगे। रमेश, बच्चों की बातों में आ गया और उसने बम मुंह में रखकर उसकी तुर्री (बाती) बाहर निकाल ली। बच्चे बम की तुर्री में आग लगने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिट्टू ने माचिस निकाली, वह आग लगाने ही वाला था कि भाईसाहब, जो ऊपर के फ्लैट में रहते थे और उम्र में हम सबसे काफी बड़े थे, का आना हुआ। उन्होंने बिट्टू के हाथ में माचिस देखी तो समझते देर न लगी कि कहीं–न–कहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देखा कि बिट्टू, रमेश के मुंह में रखे बम में आग लगाने ही वाला था। बिट्टू से माचिस छीनते हुए रमेश के मुंह से बम बाहर निकाला। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, पता है यदि सच में तुम उस बम में आग लगा देते तो क्या होता ? तुममें से कोई भी सही–सलामत न बचता। सभी को चोटें आतीं। भला तो यह रहा कि भाईसाहब ने हमें चेतावनी देकर छोड़ दिया और शिकायत हमारे घर तक नहीं पहुंची। हमने उनका आभार प्रकट किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूं तो सिहर उठती हूं कि यदि सच में बिट्टू ने रमेश के मुंह में रखे बम में आग लगा दी होती तो क्या होता ? और इस प्रकार एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते–होते रह गई।

*आशुलिपिक*
*विस्तार निदेशालय*

# 'शब्द' – जीवन निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई

*–ज्योति जदली*

शब्द! यह ढाई वर्ण का अक्षर अवश्य ही बहुत छोटा है, परंतु इसकी गहराई व व्यापकता का आकलन करने के लिए यह जीवन पर्याप्त नहीं जान पड़ता। यदि सामान्य परिभाषा पर दृष्टि डालें तो "ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं"। जब एक से अधिक वर्ण साथ जुड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं, तब एक–एक वर्ण अपनी ध्वनि और प्रबलता का योगदान करता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रत्येक शब्द अद्वितीय रूप से गठित और प्रभावशाली होता है। जब इन्हीं अनेकों शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन मे करते हैं, तब यही शब्द हमारे संपूर्ण जीवन को संवारने या बिगाड़ने कि ताकत रखते हैं। जब मनुष्य शब्दों की महिमा और शब्दों की शक्ति को समझ लेता है वह शब्द संयोजन रूपी जादुई शक्ति से किसी को भी सम्मोहित कर सकता है।

जब शिशु पैदा होता है तब उसके मुख से पहला शब्द सुनने का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। जब वह बड़ा होता है तो उसे स्वछंद रूप से व्यक्त करना, भाषा के मूलभूत उपयोग जैसे; बोलना और लिखना सिखाया जाता है ताकि उसका संपूर्ण विकास हो सके और भविष्य में वह मूल्यवान साबित हो। कनाडा के मशहूर नैदानिक मनोचिकित्सक और टोरंटो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राध्यापक जॉर्डन पीटरसन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नव विद्यार्थियों एवं छात्रों को कोई भी लेखन कार्य इस विचार के साथ दिया जाता है कि इसका उत्तर लिखने से उन्हें अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना है। परंतु यह सोच ही गलत है। छात्रों को लेखन कार्य इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि उनमें सोचने व विचार करने की क्षमता का विकास हो सके। वे विचार मंथन कर लिखने पर प्रेरित हों व शब्दों के महत्व को पहचानें, क्योंकि शब्द एवं विचारों के उपयुक्त उपयोग से हम दुनिया में प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। विचार ही है जो हमें जीवन की कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार करने का साहस प्रदान करते हैं।

जीवन के विभिन्न चरण जैसे; सीखने और विकास के विशिष्ट वातावरण में शब्दों का भाषाई संपर्क चलता रहता है, परंतु यदि मनुष्य इस महत्वपूर्ण जागरूकता का अनुभव कर ले कि हमारे प्रत्येक शब्द तथा विचारों में शक्ति का प्रवाह होता है, तो हम अपने विचारों से अपनी धारणाओं, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं एवं उनके द्वारा उपजने वाले लगातार परिणामों को भी अपनी सफलता के अनुकूल बना सकते हैं। जिस प्रकार के विचारों को हम शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं वे हमारे व्यक्तित्व व दृष्टिकोण का आधार बन जाते हैं और हम उसी के अनुसार दुनिया में अपने महत्व का लक्ष्य तय करते हैं तथा यही विचार हमारे वर्तमान और भविष्य को बहुमूल्य बनाते हैं। प्रस्तुत प्रसंग स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित है। एक बार स्वामी विवेकानंद एक सत्संग में 'शब्दों की महिमा' विषय पर बात कर रहे थे। इस क्रम में वह ईश्वर के नाम की महत्ता समझा रहे थे। एक व्यक्ति सत्संग के बीच–बीच में स्वामी जी से काफी तर्क कर रहा था। उसने कहा, शब्दों में क्या रखा है, उन्हें रटने से क्या लाभ ? उसे जबाव देने के बदले स्वामी जी ने उसे जाहिल, लंपट जैसे कुछ शब्द कह दिए। ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और स्वामी जी से बोला, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते? इन्हें सुनकर मुझे चोट लगी है। स्वामी जी बोले, भाई ये तो शब्द हैं, शब्दों में क्या रखा है ? मैंने कोई पत्थर तो नहीं फेंका जो आपको चोट लग गयी। प्रश्नकर्ता सहित वहां उपस्थित सभी भक्तों को

उदाहरण समेत उत्तर मिल गया था।

मनुष्य को सृष्टि से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संसाधन प्राप्त हुए हैं, जिनमें भाषा और विचार भी एक वरदान हैं। इन्हीं विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग जितना सतर्क तथा सटीक तरीके से किया जाए यह संसाधन उतना ही बहुमूल्य तथा लाभकारी होता जाता है। हम जो भी कहते हैं उसके बारे में विचारशील रहें और इसे कार्यों में सावधानी से पूरा करें। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी अंतर्मन की आवाजें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की जीवन कि घटनाओं तथा अनुभवों से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक दिन हमें वह विचार धारण करने हैं जो हमें एक महान, दृढ़, निश्छल, सच्चा, संवेदनशील व बुद्धिमान व्यक्ति बनने की ओर प्रेरित करें तथा नकारात्मक आत्म–चर्चा, आत्म–संदेह, जैसे विचारों को रोके जो हमें अपने बारे में कम सोचने पर मजबूर करती है। डॉ. बी.के. शिवानी जो एक प्रभावी सार्वजनिक अध्यात्मिक वक्ता हैं, का कहना है कि जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपने वस्त्र आदि ध्यानपूर्वक पहनते हैं ताकि हम बाहरी रूप से सुंदर तथा सुसज्जित लगें उसी प्रकार हमें प्रतिदिन अपने विचार एवं शब्दों को सचेतन रूप से धारण करना चाहिए ताकि हम आतंरिक रूप से भी सुंदर महसूस करें। जीवन में शब्दों के महत्व को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता और इनका मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह भी लंबे समय तक चलने वाला होता है। आपने किसी से वर्षों पहले जो कुछ कहा था, वह उनके जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदलने, उनके सपनों को प्रभावित करने का कारण हो सकता है।

यदि आप अपने शब्दों का उपयोग करने जा रहे हैं, तो उन्हें अच्छे के लिए उपयोग करें। इसलिए, यह समझना आवश्यक है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है।

सुनिश्चित करें कि आपके शब्दों का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय सदैव आशीर्वाद देने के लिए किया जाए।

*आशुलिपिक,*
*विस्तार निदेशालय*

# मिट्टी के दीये

*– उदय प्रताप सिंह*

"बनाकर दीये मिट्टी के,
किसी ने आस पाली है..."
"खरीद लो मेहनत तुम उसकी,
उसके घर भी दीवाली है..."

"टिमटिमाती चीनी झालर ने,
घर लाखों उजाड़े हैं..."
"चौपट कर दिये धंधे,
कुम्हार फिरते बेचारे हैं..."

"लड़ियों की नुमाइश से,
दूर तम हो नहीं सकता..."
"जलाओ दीये मिट्टी के,
सोया भाग्य है जगता..."

"मिट्टी से बने दीये,
मिट्टी से बने हैं हम..."
"दीये से सबक लें कुछ,
करें घर औरों के रोशन..."

*संपादक*
*राज्यसभा सचिवालय*

# आधुनिक भारत में राजभाषा हिंदी का महत्व

*– अनुपम कुमार*

आधुनिक भारत में हिंदी का बड़ा महत्व है। हिंदी एक सरल व सहज भाषा है। हमारे देश की राजभाषा है। आज लोग तेजी से हिंदी भाषा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हिंदी भाषा में बहुमूल्य साहित्य, काव्य, पद्य, गद्य, उपान्यास, निबंध एवं कहानियां मौजूद हैं। भारत में कई ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी के गौरव को पूरे विश्व में बढ़ाया एवं सम्मान दिलाया है।

विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी को विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदी में हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान दिखती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें मान और गौरव प्रदान करवाती है। हिंदी भाषा को 14 सितम्बर, 1949 के दिन अधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

भाषा देश की पहचान, उसका मान–सम्मान और गौरव होती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने में हिंदी भाषा का विशेष योगदान है।

आशुलिपिक
विस्तार निदेशालय

# ग़ज़ल

*–आभास मिश्र*

इस कदर बढ़ने लगी, मसरूफ़ियत इंसान की,
डूबते रिश्तों में अब, सांसें बची हैं नाम की।
सुबह जो निकले तो इंसा, रात ही लौटे है घर,
अब कहाँ किसको तमन्ना है, हंसी इक शाम की।
यूँ ही अपनों से, मुलाकातें कहाँ होती हैं अब,
लोग मिलने के लिए, पूछे वज़ह अब काम की।
वक्त के आगे नहीं, कीमत किसी भी चीज़ की,
आपकी मेरी नहीं, न अल्लाह, न भगवान की।
जो खुशी अपनों से थी, पीछे कहीं अब रह गयी,
चंद खुशियाँ ढूंढ़ने निकले थे, हम बेदाम की।
वक्त रहते संभल जाओ, है समंदर कह रहा,
बेवज़ह आना ही क्यों, नज़रों में इस तूफान की।
जिंदगी का फलसफ़ा, समझा दिया है वक्त ने,
चंद लफ्ज़ों में छुपी है, बात गहरी काम की।

*कार्यालय अधीक्षक*
*विस्तार निदेशालय*

# कृष्ण

*–दिवाकर*

महाभारत काल की बात है। कृष्ण और बलराम जंगल से गुजर रहे थे। काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने ही वाला था। अँधेरे में आगे बढ़ना संभव न था, इसलिए कृष्ण ने दाऊ से कहा – ''दाऊ, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं, सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे।''

बलराम बोले, ''पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ विश्राम करना उचित नहीं होगा, हमें जागकर रात बितानी होगी।''

अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और आप पहरा दीजिए, फिर जैसे ही आपको नींद आने लगे आप मुझे जगा देना, मैं पहरा दूँगा और आप सो जाना।'' कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए।

कुछ पल में ही कृष्ण को गहरी नींद आ गई और तभी बलराम को एक भयानक आकृति अपनी ओर आती दिखाई दी उन्हें लगा कि शायद कोई राक्षस है। राक्षस उन्हें देखकर जोर से चीखा, जिससे बलराम बुरी तरह घबरा गए। इस घटना का यह असर हुआ कि भय के कारण बलराम का आकार थोड़ा छोटा हो गया और राक्षस का आकार कुछ बढ़ गया।

राक्षस एक बार फिर चीखा और बलराम फिर घबराकर काँप उठे, अब बलराम और भी छोटे हो गए और राक्षस पहले से और अधिक बड़ा हो गया। राक्षस धीरे–धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा, बलराम पहले से ही भयभीत थे, और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े– ''कृष्णा'' और चीखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े।

बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे, बलराम को वहाँ देख उन्होंने सोचा, दाऊ पहरा देते–देते थक गए होंगे इसलिए सोने से पहले उन्होंने मुझे आवाज़ दी।

अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने भी आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें ?''

कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार बढ़ गया और राक्षस का आकार कम हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे नहीं डर रहा था। घबराहट में राक्षस पुनः कृष्ण पर चीखा !

इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और बड़ा हो गया जबकि राक्षस पहले से और छोटा। अब आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, ''बताओ तो क्या चाहिए तुम्हे ? फिर क्या था राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा

हो गया और कृष्ण ने उसे उठाकर अपनी धोती में बाँध कर कमर में खोंस लिया।

कुछ ही देर में सुबह हो गयी, कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ चले। वे धीरे–धीरे आगे बढ़ने लगे तभी बलराम उत्तेजित होकर बोले, "पता है कल रात क्या हुआ था, एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था।"

दाऊ, बलराम को बीच में ही रोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, "कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं?"

"हाँ यह वही तो है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तब तो यह बहुत बड़ा था। अब इतना छोटा कैसे हो गया ?"

कृष्ण बोले, जीवन में जब आप किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है लेकिन जब आप उसी चीज़ का सामना करने लगते हैं तब आप उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हैं।"

दोस्तों, यह राक्षस दरअसल, हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं, तो चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं और जितना हम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं, चुनौतियां उतनी ही बड़ी होती जाती हैं फिर आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, ताकि उन पर काबू पाया जा सके। इस प्रकार चुनौतियों का डटकर सामना करने से वे छोटी होती जाएंगी और हम उनका सामना करके आसानी से उन पर नियंत्रण पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं।

*आहरण एवं संवितरण अधिकारी*
*विस्तार निदेशालय*

**"हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।"**

*– मैथलीशरण गुप्त*

# व्यायाम

– आशारानी

पिछले कुछ समय में हमारे देश में व्यायाम के प्रति जागरुकता बढ़ी है। अगर दिन के एक–दो घंटे आप शरीर को देंगे तो बाकी समय यह आपको भरपूर आनंद देगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। प्रकृति का आनंद लेने के लिए उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है – **'पहला सुख, निरोगी काया।'**

व्यायाम केवल वयस्क लोगों के लिए ही नहीं है। व्यायाम हर उम्र के लोगों को अपनी अवस्था और आहार के अनुसार करना चाहिए। प्रातःकाल उठने पर प्रातःकर्म के बाद व्यायाम किया जा सकता है। शाम को भी व्यायाम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खाने के 4 घंटे बाद भी व्यायाम किया जा सकता है अर्थात किसी भी समय अपनी सुविधानुसार हम व्यायाम कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम के संबंध में इतना जान लेना चाहिए कि पूर्ण लाभ लेने के लिए व्यायाम अच्छी तरह से करना चाहिए और क्षमता, उम्र और आहार के अनुसार व्यायाम को बढ़ाना चाहिए।

समय पर व्यायाम करते रहने से उसके लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वास्थ विशेषज्ञों के अनुसार व्यायाम न करने से शरीर की मांसपेशियों, नसों तथा अन्य भागों में मैल जम जाता है जिसमें मैग्नीशियम, लाइम, फॉस्फेट इत्यादि होते हैं। व्यायाम न करने से यह मैल बढ़ता जाता है और धीरे–धीरे यह कड़ा हो जाता है। इस मैल के शरीर में जमे रहने से शरीर के अवयव बिगड़ जाते हैं, रक्त नलिकाएं और नसें मोटी होकर सिकुड़ जाती हैं तथा मस्तिष्क का रक्त संचार धीमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रम, चिंता, चिड़चिड़ापन इत्यादि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। व्यायाम द्वारा यह मैल साफ होता है और शरीर के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ भी उन्नत होता है। व्यायाम को खेल के भाव से तथा प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। व्यायाम, बोझ समझकर करने से पर्याप्त लाभ नहीं होगा। हमें प्रतिदिन, शरीर के सभी अंगों का व्यायाम करना चाहिए।

प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, वह भोजन करने का भी हकदार नहीं है। कहने का अर्थ है कि व्यायाम द्वारा शरीर से विभाजित, अनुपयोगी द्रव्य बाहर निकलता है तथा शरीर को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यायाम के बाद आराम भी आवश्यक है। व्यायाम कई प्रकार से किया जा सकता है पर्वतारोहण और बागवानी भी अच्छे व्यायाम हैं क्योंकि इससे व्यायाम के साथ–साथ शुद्ध हवा भी मिलती है। गायन और नृत्य भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। अपने मनपसंद संगीत पर नृत्य लाभदायक हो सकता है।

*प्रवर श्रेणी लिपिक,*
*विस्तार निदेशालय*

# कृषि में महिलाओं का योगदान

–अनूप कुमार

कृषि क्षेत्र में खेत की बुआई से लेकर फसल कटाई व इसके बाद तक की सारी गतिविधियों में, हर क्षेत्र में महिला किसानों का योगदान देखा जा सकता है। भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 48 प्रतिशत है। वर्षों से महिलाएं कृषि क्षेत्र में अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। खेती करने वाली महिला किसानों का मामला हो या उन महिलाओं का जिन्होंने घर–परिवार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हो, अपने सपनों को पूरा करने के बजाए अपना जीवन अपने परिवार पर न्यौछावर किया हो, महिलाओं के समर्पण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मेहनत–मजदूरी हो या खेत–खलिहान, सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट संसाधन हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़–चढ़ कर देश की प्रगति का हिस्सा बन रहीं हैं।

जब से रोजगार के लिए पुरुषों का शहरों की ओर पलायन बढ़ा है तभी से खेती में महिलाओं की भूमिका और मजबूत हुई है। काम के सिलसिले में पुरुष शहरों की ओर चल दिए तो गांवों में खेती का जिम्मा औरतों ने अपने कंधों पर उठा लिया।

खेतों पर कार्य करना मेहनत का काम होता है इसलिए खेती–किसानी पुरुष वर्चस्व वाला काम माना जाता है परंतु देखा जाए तो कृषि में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक है। आज महिलाएं, मंडियों में भी काम करती हुई देखी जा सकती हैं। अब आवश्यकता मार्केटिंग इंफास्ट्रकचर को महिलाओं के अनुकूल बनाने की है ताकि उन्हें मंडियों में काम करते हुए कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सकारात्मकता व आँकड़ो की ओर बढ़ते हुए यह कहना सही है कि खेती का महिलाकरण हो रहा है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों तथा केरल में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक है। करीब 48 प्रतिशत महिलाएं कृषि संबंधी

रोजगार में शामिल हैं। जबकि 7.5 करोड़ महिलांए दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं।

महिला किसानों की भागीदारी कृषि क्षेत्र में और अधिक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई उपाय कर रही है। कुछ योजनाओं में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अधिक मदद दी जा रही है। एग्रीक्लिनिक एवं एग्रीबिजनेस केंद्र नामक योजना के तहत लिए गए बैंक लोन पर पुरुषों के लिए 36 प्रतिशत जबकि महिलाओं को 44 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तहत स्टोरेज इंफ्रास्ट्र प्रोजेक्ट में पुरुष किसानों को 25 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं के लिए 33.33 प्रतिशत की सहायता दी जाती है। कृषि मशीनीकरण में मशीनों की खरीद पर महिलाओं को 10 प्रतिशत अधिक आर्थिक सहायता मिल रही है।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में कृषि मंत्रालय ने हर वर्ष 15 अक्टूबर को 'महिला किसान दिवस' मनाने का फैसला लिया है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1996 में भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषि महिला संस्थान की स्थापना की है जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहा है।

भारत सरकार महिलाओं को विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयासरत है। आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी गाँवो में रहती है तथा जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है।

विकासशील देशों में कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेत पर काम करने के बाद महिलाएं घर पर भी अपना दायित्व निभाती हैं। अतः महिलाएं घर के साथ–साथ बाहर भी हर क्षेत्र में देश की प्रगति का हिस्सा है।

*प्रवर श्रेणी लिपिक*
*विस्तार निदेशालय*

# मिट्टी परिक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड

*– रुद्रप्पा ऐल्ली*

आज कल की कृषि गहन कृषि विधियों पर आधारित है। इसके अंतर्गत साल भर में उसी भूमि में दो या दो से अधिक फसल लेते रहने से भूमि में पोषक तत्वों की कमी बड़ी तेजी से होती जा रही है। जिसके लिए मिट्टी परिक्षण द्वारा मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा का पता करना आवश्यक है। इसके साथ–साथ मृदा के विभिन्न विकारों का पता करना तथा उसी के अनुसार मृदा का सुधार करना भी आवश्यक है।

**मृदा परिक्षण का उद्देश्य :**

1 मृदा की उर्वरा शक्ति की जाँच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्ग दर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें ?

2 मिट्टी की विभिन्न समस्याओं जैसे; अम्लीयता, लवणीयता, क्षारीयता, कलर तथा प्रदूषण आदि का पता लगाना तथा उसी के अनुसार उसके सुधार के सुझाव देना तथा ऐसी फसलों व उसकी प्रजातियों की सिफारिश करना जो अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता को सहन करने की क्षमता रखती हो।

3. फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।

4. मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के मानचित्र बनाना तथा उसी के आधार पर क्षेत्र विशेष में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में समय के साथ–साथ होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करना और आवश्यकतानुसार उर्वरक वितरण में मार्गदर्शन करना।

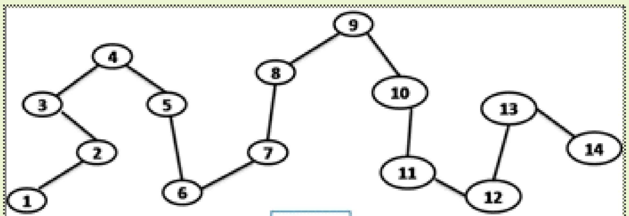


चित्र-1

**नमूने लेने की विधिः**

सर्वप्रथम खेत का सर्वेक्षण करके उसे ढलान, आकार के अनुसार उचित भागों में बांट लें। इसके बाद टेडे–मेढ़ चलते हुए 12–15 निशान लगा लें जिसमें प्रत्येक खेत का न लें। यदि पूरा खेत एक समान हो तो ढाई एकड़ का एक नमूना बना सकते हैं।

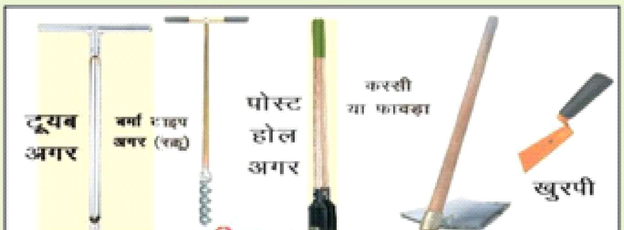

चित्र–2

**नमूना लेने के औजारः**

1 ट्यूब बर्मा
2 बर्मा टाइप अगर (स्क्रू)
3 पोस्ट होल अगर
4 कस्सी या फावड़ा
5 खुरपी

**नमूना लेने की गहराईः**

अन्न, दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास, चारे, सब्जियों तथा मौसमी

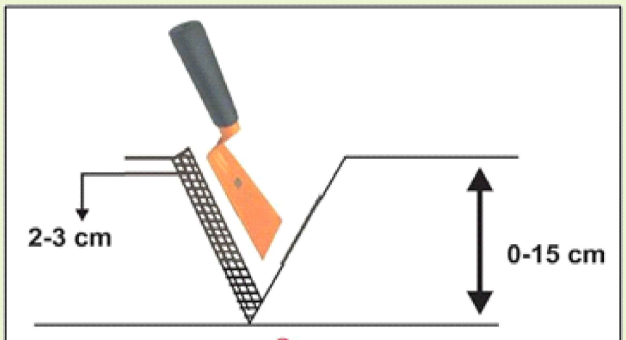

चित्र–3

फूलों आदि के ऊपरी सतह से 0–15 सेमी गहराई से 10–15 जगह से नमूना लें और बाग या अन्य वृक्षों के लिए 0–30, 30–60 तथा 60–90 सेमी तक के अलग–अलग नमूने लें, सतह से नमूना लेने के लिए खुर्पी के सहायता से ''V'' के आकार का गड्ढा 0–15 सेमी गहराई तक बनाएं तथा एक किनारे से 20 सेमी मोटी परत लें।

**नमूना तैयार करना :**

एक खेत से लिए गये सभी नमूनों को साफ पॉलीथीन सीट पर या बिल्कुल साफ जगह रखकर अच्छी तरह मिला लें। पूरी मात्रा को गोल आकार मे एक समान मोटाई में फैला लें तथा हाथ से चार भागों में

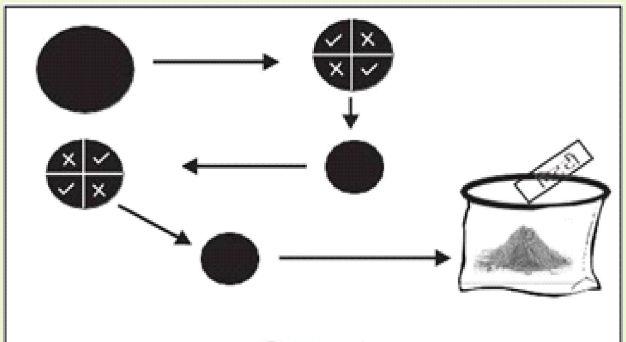
चित्र–4

बाट लें तथा आमने–सामने वाले दो भागों को हटा लें। बचे हुए हिस्सों को फिर एक साथ मिलाकर चार भागों में बाँट लें। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि नमूना 500 ग्राम न रह जाए ? यदि मिट्टी गीली है तो उसे छाया में सुखाकर साफ थैली में रखें।

**नाम, पता आदि लिखना :**

अंत में बची हुई लगभग आधा किग्रा मिट्टी को कपड़े या पॉलीथीन की साफ (नई) थैली में रखकर उस पर किसान का नाम, पता के साथ नमूना संख्या लिख दें। साथ ही एक अलग से कागज पर यही विवरण, लिखकर थैली के अंदर भी रखें।

**अन्य आवश्यक सामग्री :**

नमूनों पर पहचान चिन्ह, नमूनों की गहराई, फसल प्रणाली, प्रयोग की खादों व उर्वरकों की मात्रा तथा समय पर सिंचाई सुविधा, जल निकास आदि की भी जानकरी दें और साथ ही साथ आप कौन सी फसल इस खेत में लेना चाह रहे हैं उस फसल का नाम लिखें।

**सावधानियाँ :**

- प्रयोग में लाए जाने वाले औजार, थैलियाँ आदि बिल्कुल साफ होनी चाहिए।
- मृदा का नमूना खाद के ढ़ेर, पेड़ों, मेड़ों, सिंचाई की जगह व रास्ते पर लगभग दो मीटर दूरी तक नमूने न लें।
- मिट्टी के नमूनों को खाद व उर्वरकों एवं दवाइयों के संपर्क मे न आने दें।
- जिस खेत में कम्पोस्ट, खाद, चूना, जिप्सम तथा अन्य कोई

भूमि सुधारक तत्व डाला गया हो तो उस खेत से नमूना न लें।

**मृदा परिक्षण का सही समयः**

फसल बोने या रोपाई करने के 30 से 35 दिन पूर्व खेत से नमूना ले सकते हैं। आवश्यकता हो तो खड़ी फसल की कतारों के बीच से भी नमूना लेकर परीक्षण करवा सकते हैं, जिससे कि फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किया जा सके।

**मृदा स्वास्थ योजनाः**

इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सकें।

*विस्तार अधिकारी,*
*विस्तार निदेशालय*

"जिस देश को अपनी भाषा और
अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है,
वह उन्नत नहीं हो सकता।"

*— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद*

# राजभाषा हिंदी कार्यशाला आयोजन की झलकियां

# राजभाषा हिंदी कार्यशाला आयोजन की झलकियां

# हिंदी पखवाड़ा – 2021 की झलकियां

# हिंदी पखवाड़ा – 2021 की झलकियां

# हिंदी पखवाड़ा – 2021 की झलकियां

# स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी

*–अभिनंदन कुमार स्वर्णकार*

भाषा को राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता है। भाषा से ही राष्ट्र की पहचान होती है और भाषा से ही किसी व्यक्ति विशेष को भी पहचाना जाता है। सभी देशों की अपनी–अपनी भाषाएं हैं अगर चीनी भाषा का जिक्र हो रहा है तो पता चलता है कि बात चीन के संबंध में है, उसी प्रकार यदि नेपाली भाषा का जिक्र किया जाता है तो पता लगता है कि नेपाल की बात हो रही है।

भारत के स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का बड़ा महत्व रहा है। स्वाधीनता आंदोलन में शामिल नेता देश के अलग–अलग प्रांतों से जुड़े होने के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन के समय एकजुट रहे। जिसके कारण देश के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल नेता जैसे; महात्मा गांधी गुजराती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय बंगाली थे तो सी. राजगोपालचारी, मद्रासी। सभी नेता अलग–अलग प्रांतों से थे पर सभी ने हिंदी के प्रचार–प्रसार को अपना भरपूर सहयोग दिया।

महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को आजादी के आंदोलन से जोड़ना चाहते थे उनका मानना था कि जब तक हिंदुस्तान का हरेक व्यक्ति आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेगा, अपना योगदान नहीं देगा, तब तक आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण माना। गांधी जी जानते थे कि हिंदी भाषा के माध्यम से ही अपनी बात जन–जन तक पहुंचाई जा सकती है। देश के कोने–कोने में भ्रमण करके उन्होंने पाया कि "पराधीनता चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो अथवा भाषाई क्षेत्र की, दोनों ही एक–दूसरे की पूरक और पीढ़ी–दर–पीढ़ी सदा परमुखापेक्षी बनाए रखने वाली हैं" सन् 1917 में गांधी जी ने एक परिपत्र निकालकर हिंदी सीखने के कार्य का सूत्रपात किया और उन्हीं की प्रेरणा से कांग्रेस ने अपनी महासमिति और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदुस्तानी में चलाया। जिसका परिणाम था कि सन 1925 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन भरतपुर में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने की और उन्होंने हिंदी में बोलकर हिंदी का प्रबल समर्थन किया।

"स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" का नारा देने वाले 'बाल गंगाधर तिलक' का स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में विशिष्ट इतिहास रहा है। भाषा के संबंध में उनका विचार था कि "हिंदी ही एक

मात्र ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है।" उनके विचारों में यदि आप राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहते हैं तो भाषा से बढ़कर सशक्त कोई अन्य माध्यम हो ही नहीं सकता।

देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की हिंदी सेवा से कौन परिचित नहीं है। उन्होंने ही भारतीय संविधान की भाषाओं में पारिभाषिक कोश तैयार करवाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उन्होंने हिंदी की जो सेवा की, उसका विशेष महत्व है।

पंडित मदनमोहन मालवीय जी का नाम हिंदी प्रचारकों मे बड़े आदर से लिया जाता है। वे एक महान हिंदी प्रेमी थे। उन्हें हिंदी आंदोलन का अग्रणी नेता भी कहा जाता है। हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए उन्होंने अभूतपूर्व प्रयास किए। हिंदी को प्रशासन और राजकाज की भाषा बनाने में उनका प्रोत्साहन, समर्थन और प्रेरणा रही। एक ओर वह जीवन–पर्यन्त भारतीय स्वराज्य के लिए कठोर तप करते रहे तो दूसरी ओर हिंदी की प्रतिष्ठापना के लिए अनवरत साधना में लीन रहे।

पंजाब में हिंदी के विकास का श्रेय 'लाला लाजपत राय जी' को जाता है वे महान देशभक्त शिक्षा शास्त्री के साथ–साथ प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने पंजाब में जोर–शोर व निडरता से हिंदी का समर्थन किया। उन्होंने अपने प्रयास से पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को सम्मान दिलाया। लालाजी की प्रेरणा से ही पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मे हिंदी को स्थान मिला।

श्रीकेशव चन्द्र सेन का मत था कि हिंदी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ही नहीं अपितु उसकी आत्मा तक को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी जनसामान्य की आत्मा में बसती है।

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपना सारा जीवन हिंदी की सेवा करने और हिंदी को आगे बढ़ाने और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिलाने के लिए किया। 10 अक्टूबर, 1910 को उन्होंने वाराणसी के नागरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और 1918 में 'हिंदी विद्यापीठ' की स्थापना की। वे अपनी अभिव्यक्ति बड़े ही सरल शब्दों में करते थे ताकि लोगों के मन में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम जागे और देशभर में हिदी का प्रचार–प्रसार हो सके।

आजादी के समय बोले जाने वाले हिंदी नारे जिससे जनमानस के मन में स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जागी आज भी लोगों को भलीभांति याद हैं जैसे; "अंग्रेजो भारत छोड़ो", "करो या मरो" – महात्मा गांधी। "सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजु–ए–कातिल में है" – राम प्रसाद बिस्मिल। "स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" – लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। "वंदेमातरम" – बंकिम चन्द्र चटर्जी। "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा", "जयहिंद", "दिल्ली चलो" – सुभाष चंद्र बोस। "इंकलाब जिंदाबाद" – सरदार भगत सिंह। "सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा" – मोहम्मद इकबाल। स्वतंत्रता आंदालन के इन नारों से देश का कोना–कोना गूंज उठा था। इन नारों से देश के जनमानस में आजादी के लिए देश पर मर–मिटने की होड़ लग गई थी।

देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य हिंदी भाषा ने बखूबी किया है।

*वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी*
*विस्तार निदेशालय*

# चिंता और तनाव से मुक्ति के उपाय

एस.एस. नेगी

स्वास्थ्य से जुड़े बहुत–से मामले दबाव से पैदा होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अधिक तनाव बड़ी नासूर और कैंसर को जन्म दे सकता है? यह तनाव ही है जिसका सामना अधिकांश लोगों को अपने रोजाना के जीवन में करना पड़ता है।

इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान और तकनीकी व औषधि के क्षेत्र में अनूठे विकास हुए हैं। तब भी बम, अपहरण, धमकी, आत्महत्या, राष्ट्रीय तनाव, साम्प्रदायिकता आदि की घटनाएं आम हो गई हैं। यह किस ओर संकेत करता है ?

तमाम भौतिकवादी चीजों की वृद्धि और निर्माण हुआ है, लेकिन आंतरिक विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण संसार में चारों ओर मारा–मारी मची हुई है।

मुझे लगता है कि तनाव बहुत–सी चीजों का कारक है। हम परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और परिस्थितियों को ही दोषी ठहराते हैं। तो भी, हमारे बीच में कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं, जो तनाव से निपटना जानते हैं। वे बाकियों की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते ? वे जानते हैं कि परिस्थितियां नियन्त्रित नहीं करतीं, बल्कि हम परिस्थितियों को नियन्त्रित करते हैं और हम ही इन्हें बढ़ावा देते हैं।

तनाव हमारे मन की उपज है। मैं यह नहीं कह रहा कि हम तनाव मन में संजोते हैं, वह तो वहां होता ही है, लेकिन हम इससे निपटना और सबक लेना सीख सकते हैं। इसलिए हम तनाव के मूल कारणों और उन्हें दूर करने पर गौर करेंगे। अगर एक बार हम इन कारणों पर काबू पा लें तो इसका यह लाभ होगा कि इससे हम शांति और खुशी पा सकेंगे। मैं इसकी शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूँ जो मैंने बहुत पहले सुनी थी।

व्यक्ति, जो अपनी परेशानियों और चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हर वक्त पूजा–पाठ किया करता था। उससे प्रसन्न होकर एक दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसकी इच्छा के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने ईश्वर से अपने जीवन के तनाव व चिंताओं से मुक्ति दिलाने की बात कही। ईश्वर ने कहा कि कुछ दिनों बाद वह एक मेला आयोजित करने वाले हैं, जहां शिकायतकर्ता अपनी–अपनी परेशानियों और चिंताओं की अदला–बदली कर सकते हैं।

वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और यह सोचकर मेले का इंतजार करने लगा कि अब वह अपनी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। अगले हफ्ते उसे मेले में बुलाया गया।

उसने अपनी सारी चिंताएं एक पोटली में इकट्ठा कीं और मेले में चल दिया। वहां जाकर उसने अपने से कम परेशानी वाली पोटली खोजना शुरू कर किया। घंटों तक ढूंढ़ने के बाद भी उसे कोई भी पोटली अपनी पोटली से छोटी नहीं मिल सकी। तभी एक थका–हारा बूढ़ा व्यक्ति परेशानियों का बड़ा पुलिंदा लिए उसकी तरफ बढ़ा। वृद्ध व्यक्ति ने उसके पास पहुंचकर कहा कि क्या वह अपनी पोटली उसकी

पोटली से बदलना चाहेगा क्योंकि उसकी पोटली काफी भारी है।

उसने सोचा इसकी चिंताओं की गठरी तो मुझसे कहीं अधिक भारी दिखाई पड़ती है इसकी गठरी लेने से तो मैं चिंताओं और परेशानियों के बोझ तले दब ही जाऊंगा और उसने थैला बदलने से इंकार कर दिया। मेले में काफी देर तक घूमने के बाद, अंततः उसने अपनी पोटली का वजन ही सबसे कम पाया और अपनी पोटली किसी से भी न बदलने का निश्चय किया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। वहां ऐसे कुछ लोग जरूर थे जिनकी चिंताएं उससे अधिक थीं

पर उसने देखा कि हर व्यक्ति मेले से अपना थैला लेकर वापस जा रहा है। वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी चिंताओं की गठरी की अदला–बदली की हो।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि हममें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी चिंता और तनाव पर काबू पाने में निपुण हैं। हममें से अधिकांश इसमें निपुण नहीं हैं। इसके विपरीत हम तनाव और चिन्ताओं से घिरे रहते हैं। महसूस कीजिए कि जब चिन्ताएं और तनाव आप पर काबू पा लेते हैं, तब आप मानसिक रूप से कमजोर और लगभग अशक्त हो जाते हैं। याद रखिए कि तनाव भी किसी ऊर्जा की तरह है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं आप इसका विध्वंसात्मक इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को गुलाम बनाते हैं या इसका रचनात्मक इस्तेमाल करके जिंदगी को और आसान बनाते हैं। जब तक हम तनाव और चिंताओं को रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में नहीं जानेंगे और निरंतर अतीत और भविष्य में खोए रहेंगे, तब तक तनाव और चिंताएं हमें घेरे रखेंगी। जब आप चिंता करते हैं कि आपके बच्चे को कितने अंक मिलेंगे ? आपको प्रोमोशन मिलेगी या नहीं ? आप स्वाभाविक रूप से तनाव और चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे।

चिंताएं भविष्य से संबंध रखती हैं। जब आप बच्चे के अंक, प्रोमोशन आदि के बारे में सोचते हैं, तो यह चिंता है।

इसी तरह, तनाव हमेशा अतीत से संबंध रखता है, जब आप अपने संबंधियों के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने आपसे क्या कहा था यह तनाव है। किसी ने आपको गाली दी, बुरा व्यवहार किया या आपको सोचने पर मजबूर कर दिया ऐसी बातें तनाव में योगदान देती हैं। अतीत के ऐसे ही नकारात्मक अनुभव आपको अवचेतन की अवस्था में ले जाते हैं और हर समय आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करने में व्यस्त रखते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा वर्तमान के बारे में सोचें और तनाव व चिंताओं से दूरी बनाकर रखें।

*मुख्य कलाकार*
*विस्तार निदेशालय*

**"हिंदी स्वयं अपनी ताकत से बढ़ेगी।"**

– पं. जवाहरलाल नेहरु

# अमानत

–किशोर श्रीवास्तव

हमारा घर शहर से कुछ दूरी पर स्थित नगर विकास प्राधिकरण की एक कॉलोनी में है। यद्यपि इस कॉलोनी को बने हुए लगभग 8–10 वर्ष बीत चुके हैं। परंतु अभी तक यहाँ लोगों की बसावट कम ही हो पाई है। ज़्यादातर लोगों ने मकानों का कब्जा लेकर अपने–अपने घरों पर ताला लगा रखा है या मकान का एकाध कमरा किराए पर उठा रखा है। अनेक कब्जाधारी इस कॉलोनी के शहर से दूर होने और बाज़ार–हाट की समुचित सुविधा न होने के कारण यहाँ रहने में हिचकिचाते हैं। कॉलोनी शहर के बाहर होने और कॉलोनी के साथ ही जंगल शुरू हो जाने के कारण यहाँ शाम ढ़लते–ढ़लते अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यद्यपि कॉलोनी से लगी सड़क पर वहाँ से आगे जाने वाली सवारियों के लिए एक छोटा बस अड्डा भी है परंतु शाम को सवारियाँ कम होने के कारण बसें वहाँ कम ही रुकती हैं और रात्रि की निस्तब्धता को चीरती हुई वह शोर करती हुई सरपट आगे की ओर निकल जाती है। रात्रि में कॉलोनी के आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के सिवाए वहाँ और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। रात्रि में किसी को कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ता है तभी वह अपना वाहन लेकर शहर की ओर जाने का साहस जुटा पाता है, वरना सभी अपने–अपने घरों में दुबके रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। गर्मी में तो फिर भी कुछ गनीमत रहती है परंतु जाड़े की तो बात ही कुछ और होती है। मसलन, जाड़े की ठंड में तो यहाँ का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल रहता है।

किशोरावस्था में जाड़े की शाम होते ही एक बार हम सब भाई–बहन रजाई में दुबक कर जो बैठ जाते तो बस पढ़ाई से लेकर हमारा खाना–पीना तक सब कुछ बिस्तर पर ही होता। माँ हम पर चिल्लाती। विशेषकर वह मुझे लेकर काफी देर तक बड़बड़ाती रहती– 'यह शकुनी पहाड़ सी हो रही है पर अभी तक इसका बचपना जाने का नाम नहीं ले रहा है। बजाए रसोई में आकर माँ की मदद करने के, हर समय बिस्तर में ही घुसी रहती है। इस निगोड़ी को यह भी नहीं पता कि कल को ससुराल जाएगी तो इसका वहाँ क्या हाल होगा। वहाँ कौन इसे इस तरह से बैठाकर खिलाएगा और लाड़–प्यार करेगा। एक ही दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तब इसे याद आएगी हमारी पर तब याद भी आएगी तो क्या कर लेगी। पता नहीं कैसे होंगे इसके ससुराल वाले, इसे कभी हमसे मिलने आने भी देंगे या हर वक्त कोई न कोई बहाना बनाकर उलझाए रखेंगे, ससुराल के रोज़मर्रा के कामों में।'

माँ की इन झिड़कियों के बीच मैं भी आखिर कब तक बेशर्म बनी बैठी रहती। मुझे बिस्तर से निकलकर रसोईघर में माँ के पास तक जाना ही पड़ता। तब मैं माँ को अपनी बाहों में भरकर कहती– 'माँ जब तुझे मालूम ही है कि मुझे ससुराल में न जाने क्या–क्या झेलना पड़ सकता है तो तू कम से कम अभी तो मुझे कुछ समय चैन से रह लेने दे। आखिर भइया भी तो हर समय बिस्तर में ही घुसा रहता है, उसे तो कभी भी कोई कुछ नहीं कहता है।' मेरी बातों के प्रत्युत्तर में माँ को शायद मुझ पर कुछ प्यार आ जाता। वह प्यार से मेरी गालों पर चपत जमाते हुए कहती, 'बेटे, भइया से बराबरी नहीं करते, उसे कौन सा ससुराल जाना है। उसे तो यहीं रहना है। पराए घर तो तुझे ही जाना है। फिर अब तो वह ज़माना है कि तमाम

दान–दहेज देने और लड़की के खूबसूरत व गुणवान होने के बावजूद ससुराल में बेटी सदा सुखी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आजकल जिस तरह से अख़बार और टेलीविजन पर दहेज और शादियों के टूटने–बिखरने की खबरें देखने–सुनने को मिलती हैं उससे तो दिल ही दहल उठता है।

वह जनवरी महीने की शुरूआत के दिन थे। रात्रि के 10 बजने वाले थे। उस दिन भयंकर ठंड पड़ रही थी। चारों ओर से तेज़ ठंडी हवाएं बंद खिडकियों के आजू–बाजू की सुराखों से पार होकर बेधड़क घर के भीतर प्रवेश किए जा रही थीं। मानों उन पर किसी का कोई नियंत्रण ही न रहा हो। सिर से पैर तक रजाई के अंदर दुबके होने के बावजूद हमारे लिए ठंड से अपना बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा था। चूल्हे–चौके का काम निपटाकर व बाबूजी का बिस्तर लगाकर माँ भी अपने सोने की तैयारी में थी कि अचानक किसी ने दरवाज़े की घंटी बजाई। अमूमन इस कॉलोनी में रात्रि को इतने समय हमारे या आस–पड़ोस के किसी के भी घर में किसी की आवाजाही कम ही होती थी। इस कारण हमें इतनी रात को किसी का दरवाज़े पर आना आश्चर्यजनक लगा। बाबूजी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने गेरुवा वस्त्र पहने, लंबी सफेद दाढ़ी में किसी सन्यासी सरीखे व्यक्ति को खड़ा पाया। उस व्यक्ति ने बाबूजी को सिन्हा जी का संबोधन करते हुए नमस्कार किया परन्तु शायद बाबूजी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। अतः उन्होंने झिझकते हुए उनका नाम व उनके इतनी देर रात इस भयानक ठंड में घर आने का प्रयोजन पूछ लिया। उस सन्यासी सरीखे व्यक्ति ने बाबूजी को अपना नाम अभय बताते हुए उन्हें याद दिलाया कि अब से लगभग बीस वर्ष पहले देहरादून में नौकरी के दौरान उनका परिवार उन्हीं के मकान में किराए पर रहता था। उन्होंने बाबूजी को यह भी बताया कि वह काफी दिनों से उनके घर का पता ढूंढ़ रहे थे। पिछले सप्ताह उन्हें बाबूजी के पुराने ऑफिस से बड़ी मुश्किल से इस घर का पता मिला तो ढूंढ़ते–ढूंढ़ते वह किसी तरह से आज यहाँ तक आ पाए थे।

उन्हें गौर से देखकर अब बाबूजी को अचानक जैसे सब कुछ याद आ गया था। वह उन्हें बाहों में भरते हुए दरवाज़े से घर के अंदर तक ले आए थे। हम बिस्तर में रजाई से अपना थोड़ा सा मुंह निकालकर बाबूजी और उन्हें घूरे जा रहे थे। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था परंतु जब बाबूजी ने अनेक पुरानी घटनाओं के ज़रिए हम सभी से उनका परिचय कराया तो धीरे–धीरे अतीत के परदे से छन–छनकर धुंधला–धुंधला ही सही, हमें सब कुछ नज़र आने लगा था।

यह अभय बाबू थे, देहरादून में जिनके मकान में हम कई सालों तक किरायेदार के रूप में कम, मकान मालिक जैसे बनकर ज़्यादा रहे थे। माँ बताती है कि मैं उन्हीं के मकान में पैदा हुई थी। माँ के कहे अनुसार अभय बाबू और हमारा परिवार एक दूसरे के परिवार के साथ इतना घुल–मिलकर रहता था कि किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि दोनों परिवार अलग–अलग हैं। आसपास के सभी लोग हमें एक–दूसरे का रिश्तेदार ही समझते थे। हमारा खाना–पीना, उठना–बैठना और कहीं घूमने–फिरने जाना सब कुछ प्रायः एक साथ ही होता था। इन सबके बावजूद आज अचानक 20 वर्षों बाद न जाने कहाँ से इस भयानक ठंड में उनका हमारे घर इस तरह से बोरिया–बिस्तर लेकर आ टपकना हममें से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था।

कभी फुर्सत के दिनों में माँ बताती थी कि देहरादून में अभय बाबू का काफी हँसता–खेलता परिवार था। उनके पास सुख–सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। परंतु हमारे दूसरे शहर में तबादले और पत्नी के अचानक चल बसने व दोनों बेटों के अपने बीबी–बच्चों के साथ विदेश जा बसने के बाद से वह एकदम अकेले पड़ गये थे। बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने को बहुत कहा परंतु अपनी धरती और अपने वतन से मोह ने उन्हें विषम परिस्थितियों में भी कभी देश नहीं छोड़ने दिया। एक बार एक बेसहारे को उन्होंने अपने घर में पुत्रवत पनाह दी तो वह कुछ दिनों बाद ही उनका सब कुछ हड़पकर व उनके मकान पर कब्ज़ा जमा कर बैठ गया। दर–दर की ठोकरें खाते–खाते ही आज वह हम तक किसी तरह से पहुंच पाए थे।

बढ़ी हुई दाढ़ी और लम्बे बेतरतीब फैले सफ़ेद बाल परिस्थितियों ने उन्हें समय से कुछ पहले ही बूढ़ा बना दिया था। फटे–नुचे कपड़ों, बोरिया–बिस्तरे और एक मैली–कुचैली पोटली के अलावा उनके पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था।

जिस तरह डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता ठीक उसी प्रकार अभय बाबू को आज इतने दिनों बाद इस हालत में पाकर घर के किसी सदस्य में किसी तरह का कोई उत्साह पैदा नहीं हो पाया था बल्कि सभी उनके इस तरह से अचानक आ टपकने पर कोत–सा ही महसूस कर रहे थे।

वैसे भी, अब वह ज़माना तो था नहीं, जब किसी दूर–दराज के परिचित व्यक्ति को देखकर भी दिल ख़ुशी से उछल पड़ता था। महंगाई के इस युग में किसी बिन बुलाए मेहमान को एक दिन भी बर्दाश्त कर पाना कितना मुश्किल होता है, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। फिर उनकी बातों से ऐसा भी नहीं लगा कि वह केवल एकाध दिन के लिये ही यहाँ आए हों।

पहले दिन से ही घर में फुसफुसाहट होने लगी थी। 'काम का, न धाम का, दुश्मन अनाज का, घर की माली हालत तो पहले से ही खराब थी उस पर से यह बुड्ढा और आ टपका।'

शकुन की शादी में लड़के वालों ने डेढ़ लाख रूपए के गहनों की डिमांड कर रखी थी। पापाजी उसी का इंतज़ाम न हो पाने के कारण घुले जा रहे थे। शादी के लिये पैसों के इंतज़ाम में लगे परिवार को पेट काट–काट कर किसी तरह से अपना गुज़ारा करना पड़ रहा था परंतु घर आए मेहमान को तो सूखी रोटी परोसी नहीं जा सकती थी, चाहे वह बिन बुलाया मेहमान ही क्यों न हो। आखिर घर की इज्ज़त का भी तो कुछ ख़्याल रखना ही था।

माँ ने बचपन में एक बार अभय बाबू की कहानी सुनाते हुए शकुन को बताया था कि अभय बाबू के कोई लड़की नहीं थी। अतः उन्होंने उसे ही अपनी बेटी बना रखा था। उसका नाम शकुंतला था, परंतु प्यार से वह उसे शकुन कहकर बुलाया करते थे। और बाद में वह सबके लिए शकुन बनकर ही रह गयी थी। शकुन के बगैर एक पल भी रह पाना अभय बाबू के लिये मुश्किल–सा रहता था। शकुन भी प्रायः अपने माँ–बाबूजी को छोड़कर उन्हीं की बांहों में झूलती नज़र आती थी। परंतु आज न अभय बाबू उस तरह के दिख रहे थे और न उनकी शकुन को ही उनके साथ बिताए गए पलों को याद कर उनके प्रति कोई उत्साह पैदा हो रहा था। इतना ही नहीं वह तो आज उनकी मेहमान–नवाज़ी करने को तैयार नहीं थी।

उनको आये हुए आज पूरे दस दिन बीत चुके थे। घर के लोग उनकी मेज़बानी करते–करते तंग आ चुके थे। दो कमरे के घर में जगह कम होने के कारण बाबूजी ने बच्चों के पढ़ने–लिखने के लिए घर के पिछवाड़े थोड़ी–सी जगह में टीन की चादर और घास–फूस का जो एक छोटा–सा कमरा बनवा रखा था, वह आज उन्हीं का होकर रह गया था। उनका सारा समय उसी में लेटे–बैठे कट जाता था। घर का कोई सदस्य उनके पास तभी जाता, जब उनके लिये नाश्ता–खाना ले जाना होता था। कोई उनके पास पल भर को भी बैठता तो उनके चेहरे पर रौनक–सी आ जाती और कुछ देर को वह भले–चंगे नज़र आने लगते। प्रायः वह उनके पास आने वाले से शकुन के बारे में पूछते और उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते परंतु घर के कामों और पढ़ाई–लिखाई में उलझी शकुन को उनके पास जाने का कभी कोई मौक़ा ही नहीं मिलता। कभी समय होता भी तो वह उनके पास जाने से कतराती।

इतने दिनों की उनकी बेवजह की उपस्थिति से तथा उनकी मेहमान–नवाज़ी करते–करते पूरा घर तंग आ चुका था। वह यहाँ इस तरह से क्यों आकर ठहर गए हैं और अब जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, यह घर के किसी भी सदस्य की समझ में नहीं आ रहा था। उनसे छुटकारा पाने की कोई युक्ति भी किसी को नहीं सूझ रही थी।

वह एक भयानक काली रात थी। उस रात कड़ाके की ठंड और तेज़ बारिश के बीच घर के सभी सदस्य पूरी रात जागकर अभय बाबू से छुटकारा पाने की जुगत में ही लगे रहे। संकोची स्वभाव और उनके पूर्व के कुछ अहसानों के कारण घर के किसी सदस्य में यह साहस नहीं पैदा हो पा रहा था कि वह उनसे सीधे तौर पर दूसरा घर देखने को कह पाता।

रात भर की कशमकश के बाद अचानक शकुन में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि वह उनसे दो टूक बात करने को तैयार हो गई। सुबह होने की प्रतीक्षा करते–करते, भयानक ठंड और आंधी–पानी के बीच कब सबकी आँख लग गई, किसी को पता ही नहीं चला।

सुबह घर के चारों तरफ़ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ठंडी हवाएं अभी भी पेड़–पौधों से अठखेलियां कर रही थी। कंपकंपाती ठंड के बावजूद शकुन सुबह उठते ही सीधे घर के पिछवाड़े अभय बाबू के कमरे में जा पहुँची। कमरे की छत से अभी भी बारिश का रुका हुआ पानी छन–छन कर नीचे आ रहा था। रात भर की ठंड और

सदस्यों की आंखों में आंसू और दुःख के भाव थे परन्तु अंदर ही अंदर सबके मन में अभय बाबू के प्रति क्रोध का ज्वालामुखी फूटा जा रहा था।

काफ़ी दिन बीत गए, अभय बाबू के निधन के बाद से किसी की उनके कमरे में घुसने की हिम्मत ही नहीं हो पाई थी। परंतु एक दिन घर में किसी मेहमान के आने की ख़बर सुनकर साहस जुटाकर शकुन झाड़ू लेकर उनके कमरे में पहुँच गई। कमरे की साफ़–सफ़ाई के दौरान अचानक अभय बाबू की मैली–कुचैली पोटली शकुन के हाथों लग गई। उसने घिनाते–घिनाते पोटली खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पोटली में छोटी–सी भगवद्गीता, रूद्राक्ष की एक माला और नन्हीं शकुन को गोद में लिये अभय बाबू की एक पुरानी तस्वीर के अलावा हज़ारों रुपये व गहनों के बीच एक छोटी–सी चिट्ठी रखी थी। शकुन तुरंत चिट्ठी खोलकर पढ़ने बैठ गई। चिट्ठी के अंश कुछ इस प्रकार से थे–

'पत्नी मरने से पहले यह सभी गहने मुझे सौंप गई थी। वह चाहती थी कि मैं यह सभी गहने शकुन की शादी के समय किसी तरह से उस तक पहुंचा दूं। यहां आने का मेरा एक मात्र मक़सद भी यही था। मैं चाहता था कि एक बार, सिर्फ़ एक बार मेरी शकुन बिटिया मेरे सामने आ जाए ताकि मैं उसे जी भरकर देख सकूं और उसको उसकी अमानत सौंप सकूं। बस इसी इंतज़ार में मैं यहां बेवजह आप सबका मेहमान बनकर पड़ा रहा और सभी को जाने–अंजाने तंग करता रहा। आशा है आप सभी अपने इस बिन बुलाए मेहमान को माफ़ करेंगे।

आप सबका – अभय बाबू।

–सहायक निदेशक (राजभाषा) सेवा निवृत्त

बारिश से बेख़बर अभय बाबू कंबल ताने निश्चिंत भाव से सो रहे थे। शकुन मन ही मन बुदबुदाई–'कैसे ठलुओं जैसे पड़े सो रहे हैं। हम तो जैसे इनके गुलाम ठहरे अरे कभी रहे होंगे हम इनके घर में, पर आज के इस महंगाई के ज़माने में भला कौन ऐसी रिश्तेदारी निभाता है ?'

और इसके साथ ही ग़ुस्से से भरी शकुन ने अभय बाबू के शरीर पर पड़े कंबल को ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। परंतु यह क्या ! अभय बाबू का शरीर तो ठंड से अकड़ा पड़ा था। उनको इस हालत में देखकर वह सिर से पैर तक कांप उठी और चीखती हुई बाहर की ओर भागी। तुरंत ही घर के सारे लोग अभय बाबू की मृत देह के इर्द–गिर्द इकट्ठा हो गये। सभी के मुंह से एक बारगी यही निकला 'इस बुड्ढे को भी यहीं आकर मरना था ?'

उनके और किसी रिश्तेदार का कोई अता–पता न होने के कारण बाबूजी को ही उनकी अंत्येष्टि का सारा इंतज़ाम करना पड़ा। हम चाहते थे कि उनका दाह संस्कार किसी लावारिस लाश की तरह से कर दिया जाए। पर बाबूजी इसके लिए तैयार नहीं थे। वह उनके अहसानों का बदला इस तरीके से चुकाने के पक्ष में कदापि नहीं थे। इस प्रकार शादी के लिये रखे रुपयों में से कुछ रुपये अभय बाबू की अंत्येष्टि की भेंट चढ़ गये। औरों को दिखाने के लिये घर के सभी

# यात्रा संस्मरण – 3
# पोर्टब्लेयर (हैवलॉक), अंडमान निकोबार द्वीप समूह

*–सविन्द्र कुमार*

प्रकृति की खूबसूरत वादियों में पहाड़ों से झरझर कर झरते झरने, बहती नदियों के प्रवाह मार्ग में चट्टानों से टकराकर कलकल करती जलधाराएँ, प्राकृतिक निर्मल और शांत झीलों तथा नैसर्गिक वनांचलों में भ्रमण करने के लिए सबका दिल मचलता है। वैसे तो हमें अनेकों खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने का अवसर मिला है। किंतु इस बार समुद्री यात्रा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों के आकर्षक बीच को देखने के लिए मेरा मन हिचकोले मार रहा था। इसके लिए हम पांच सहकर्मी परिवार सहित 19 लोगों ने 14 सितंबर, 2015 की सायं 4:55 बजे कोलकता राजधानी ट्रेन से नई दिल्ली से 1447 किमी की दूरी तय करते हुए कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, गया, पारसनाथ तथा धनबाद होते हुए हावड़ा जंक्शन 15 सितम्बर, 2015 के दोपहर 12:15 बजे पहुंचे। रास्ते में लहलहाते हुए धान के खेत, हरे–भरे बाग–बागीचे तथा छोटे–छोटे तालाबों में सिंघाड़े व कमल के फूल मन को मोह ले रहे थे।

मनभावन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए हम कोलकाता के भीड़भाड़ वाली सड़कों और गलियों से होते हुए अपने होटल पहुंच गए। दोपहर का खाना खाने के बाद हम साइट सीन देखने निकले। सबसे पहले सन् 1906–1921 के बीच निर्मित ऐतिहासिक स्मारक '**विक्टोरिया मेमोरियल**' देखने गए। इस भव्य स्मारक का निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। यह मेमोरियल 338 फीट लंबे और 22 फीट चौड़े स्थान में निर्मित भवन के साथ 64 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। संगमरमर का बना यह स्मारक ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली का अद्भुत संगम है। मेमोरियल में एक शानदार संग्रहालय है, जहां रानी विक्टोरिया के पियानो और

स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक वस्तुएं जैसे; टीपू सुल्तान की तलवार, प्लासी के युद्ध में प्रयुक्त बेंत, 1870 से पहले की दुर्लभ वस्तुएं, अबु फजल द्वारा लिखी '**आइने अकबरी**' जैसी मूल्यवान पांडुलिपियां, दुर्लभ डाक टिकट आदि प्रदर्शित किए गए हैं। हमने यहां के मनमोहक दृश्यों को यादगार के लिए अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया।

इसके बाद हम कोलकाता की सबसे मशहूर मंदिर '**कालीघाट काली मंदिर**' गए जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां सती के दाएं पांव के (अंगूठे को छोड़कर) चार अंगुलियों का पतन हुआ था। इस पीठ में मां की भव्य प्रतिमा मौजूद है, जिनकी लंबी लाल जिह्वा मुख से बाहर निकली हुई है। मंदिर में त्रिनयना माता रक्तांबरा, मुण्डमालिनी, मुक्तकेशी भी विराजमान हैं। मंदिर की कुछ सीढ़ियां उतरकर गर्भगृह में स्थित मां काली के दर्शन किए। यहां लोग सच्चे मन से देवी के दर्शन, पूजन के लिए आते हैं।

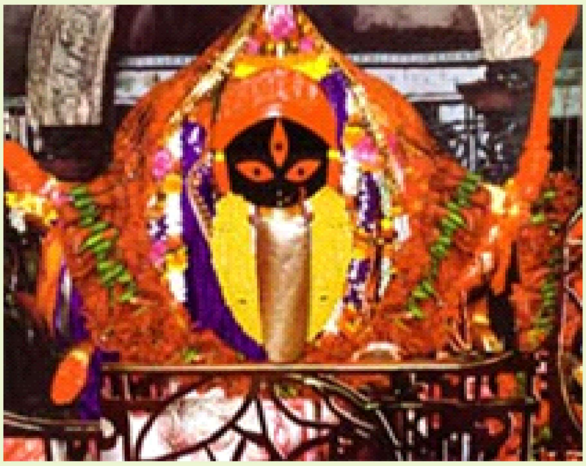

दिनांक 16 सितम्बर, 2015 प्रातः 3.00 बजे होटल से निकलकर कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (नेता जी सुभाषचंद बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) पहुंच गए। अपना लगेज बुक करवाकर तथा बोर्डिंग पास आदि लेकर हम वेटिंग हाल में पहुंचे। प्रातः 5.55 बजे एअर इंडिया की उड़ान सख्या 787 से बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ते हुए 2.20 घंटे का हवाई सफर तय करके सुबह 8.15 बजे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेयर के स्वच्छ एवं पारदर्शी पानी के समुद्री तट पर पहुंचे।

हवाई अड्डा से बस लेकर हैडो स्थित किंग्स टावर होटल पहुंचे। दिनांक 16.11.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे उस ऐतिहासिक स्थल को देखने गए जिसे देखने का हमें वर्षों से इंतजार था जो यातना का पर्याय काला पानी यानि सेल्युलर जेल के नाम से मशहूर है।

**पोर्ट ब्लेयर की प्रसिद्ध सेलुलर जेलः** अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पराधीन भारतवर्ष के ऐतिहासिक 90 वर्षों के कालापानी के भयावने और रूह कंपकपाने वाले काले अध्याय से रूबरू हुए। गौरतलब है कि अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ 10 मई, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ग़दर के बाद देश के 200 क्रांतिकारियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को सजा के लिए कालापानी भेजा गया था। यही वह सेलुलर जेल है जहां चप्पे–चप्पे पर देश के अनेक क्रांतिवीर सूरमाओं की अनमोल जवानी वतन पर मर–मिटने की अमिट निशानियाँ मौजूद हैं। प्रारंभ में यह सेलुलर जेल केन्द्र के टॉवर से सात षटकोणीय शाखाओं में विभक्त होकर तिमंजिला विशालकाय इमारत थी। अब यहाँ मात्र तीन शाखाएं हैं। यहाँ कैदियों को पीड़ादायक यातनाएं दी जाती थीं। दूसरे विश्वयुद्ध के समय आजाद हिंद फौज के स्व. नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 30 मई, 1943 को आजादी का तत्कालीन ध्वज फहराया था। 11 फरवरी, 1979 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने देश के क्रांतिकारियों की तप–स्थली इस जेल को राष्ट्रीय स्मारिका के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया।

इस राष्ट्रीय स्मारक के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक छोटे से पार्क में उन क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगी हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वहां हमने जेल की काल कोठरियों, फांसीघर, कोल्हू से नारियल तथा सरसों का तेल निकालने का स्थान, संग्रहालय आदि देखा। काल कोठरियों को देखकर हमारी रूह कांप

उठी कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कैसी दर्दनाक यातनाएं झेली होंगी। सांय 6.00 से 7.00 बजे तक एक घंटा का लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम देखा जिसमें जेल के बारे में, कैदियों को दी जाने वाली पीड़ादायक यातनाएं आदि के बारे में विस्तार से बताया गया था जिसे देखकर हम दंग रह गए। बाद में हम वापस हम अपने होटल पहुंचे और डिनर आदि करके विश्राम किया।

अगले दिन दिनांक 17.09.2015 को वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास स्थित जेट्टी से एम.बी. आइसलैंड इक्स्प्लोरर नामक मोटर बोट/फेरी से रॉस 20 मिनट में द्वीप पहुंच गए। एक मेरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पर इस द्वीप का नाम रॉस द्वीप पड़ा। अंग्रेज शासकों द्वारा 200 एकड़ में फैले इस द्वीप का चयन अपने रहने के लिए इस दृष्टि से किया गया था कि वे न केवल पोर्टब्लेयर के तत्कालीन असुविधाजनक वातावरण से दूर रहें, वरन् सुरक्षित भी रहे। अंग्रेजों के मर्यादित, नफासत पसंद जीवनशैली के अवशेष यहां कदम–कदम पर बिखरे पड़े हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इसे **'पूरब का पेरिस'** कहते थे। इस द्वीप पर जाने से पहले ही टूर गाइड ने बता दिया था कि वहां हिरन, खरगोश एवं मोर आदि मित्रवत व्यवहार करते हैं जिनके साथ फोटो भी खिचवाए जा सकते हैं।

इस द्वीप पर दो घंटे घूमने के बाद उसी मोटर बोट से उत्तरी खाड़ी (नार्थ बे) द्वीप गए। यह द्वीप प्राकृतिक सुंदरता, पानी के अंदर समुद्री जीवन, कोरल्स, स्नोर्किलंग, स्क्युबा डाइविंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहां 10–12 छोटी– छोटी दुकानें हैं जहां समुद्री शंख, मोती, सीप आदि से निर्मित वस्तुएं मिलती हैं हमने भी कुछ वस्तुओं की खरीदारी की। कुछ लोगों ने तो सतह पर पारदर्शी (शीशा लगी) बोट में बैठकर समुद्री जीवों जैसे; कछुआ, पैरोल मछलियां, छोटी शार्क आदि देखने का आनंद उठाया। हमने इस द्वीप के कुछ मनोरम दृश्य, लाइट हाउस, बीच आदि का छायांकन किया। फिर अपरान्ह 3.30 बजे पुनः हम पोर्टब्लेयर आ गए। उसी दिन शाम को मरीना पार्क, जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय होते हुए कोर्बिन कोव बीच पहुंचे। इस बीच पर किनारे से टकराती ऊंची–ऊंची समुद्री लहरों का आनंद लेते हुए तस्वीरें खिंचवाई।

सुदूर अनजान जगह पर जब कोई अपना मिलता है तो मन गदगद हो जाता है। बीच–बीच में साथियों से बातें भी होती थी। तभी दो लोग आपस में बात करते मिले। जिसमें एक सेना का जवान था तो दूसरा साधारण सा दिखने वाला इंसान। उन्होंने बताया कि हमारे दादा परदादा काम की तलाश में यहां आए थे फिर यहीं के होकर रह गए। उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ।

दिनांक 18.09.2015 को सुबह 5.20 बजे होटल से फोरेशोरे मार्ग होते हुए पोर्टब्लेयर बंदरगाह जिसे फोइनेक्स बे जेट्टी भी कहा जाता है, वहां से नार्थ पैसेज नामक सरकारी जहाज से सुबह 6.20 बजे हैवलॉक द्वीप के लिए रवाना हुए। हमने 56 किमी की दूरी लगभग 2.20 घंटे में तय की, रोमांचक समुद्री सफर एवं लहरों का आनंद उठाते हुए प्रातः 8.30 बजे हैवलॉक फेरी घाट जेट्टी पहुंच गए। वहां से बस लेकर गोविंद नगर होते हुए हैवलॉक के सबसे मशहूर राधानगर बीच पहुंचे। रास्ते में धान के खेत, नारियल एवं सुपारी के ऊंचे–ऊंचे पेड़, केले के खेत, बाग–बगीचे आदि मन को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। राधानगर बीच पर दोपहर का भोजन करने के बाद वहां की लोकल दुकानों से कुछ सामान खरीदा और समुद्री लहरों का आनंद लेने बीच पर पहुंच गए। बारिश जोरों की थी हम भीगते हुए लहरों का

आनंद लेते रहे। बीच पर तस्वीरें भी खींची गई। दोपहर 3.00 बजे हैवलाक फेरी घाट पहुंचे।

सायं 4.30 बजे नार्थ पैसेज जहाज से हम पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए। चूंकि बारिश अभी भी हो रही थी जिसके चलते समुद्र में ऊंची–ऊंची लहरें उठ रही थीं। लहरों को चीरते हुए एवं हिचकोले खाते हुए हमारा जहाज आगे बढ़ रहा था। हम लोग जहाज के निचले हिस्से में बैठे सफर का आनंद ले रहे थे। जीवन में अब तक की गई यात्राओं में यह यात्रा सबसे यादगार रही। हमारा जहाज 6.40 बजे सायं पोर्टब्लेयर के फोइनेक्स बे जेट्टी पर पहुंचा, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हम बस से अपने होटल पहुंच गए।

अगले दिन हमारे लिए पोर्टब्लेयर का आखिरी दिन था। सुबह 6.00 बजे हम होटल से निकलकर हवाई अड्डा पहुंच गए जहां एअर इंडिया की हवाई जहाज सं. एआई 788 का बोर्डिंग पास लेकर तथा अपना सामान बुक करवाकर वेटिंग हाल पहुंचे। वेटिंग हाल में हमने चंद तस्वीरें भी खिंचवाई। फ्लाइट का एनाउंस होते ही हमें बस द्वारा फ्लाइट के पास ले जाया गया जहां बोर्डिंग पास चेक करवाते हुए हवाई जहाज में पहुंचकर अपनी–अपनी सीट पर बैठ गए। हवाईजहाज ने सुबह 8.40 बजे पोर्टब्लेयर से कोलकाता के लिए उड़ान भरी। बंगाल की खाड़ी के समुद्र के ऊपर का सफर का आनंद लेते हुए 10.30 बजे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। अपना–अपना लगेज लेकर वाल्वो बस से हावड़ा रेलवे स्टेशन आ गए।

हावड़ा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम के लाकर में सामान रखकर पैदल ही हुगली नदी पर बने हावड़ा ब्रिज पार कर कोलकाता के बड़ा बाजार गए। बाजार से कुछ खरीदारी की और वापस रेलवे स्टेशन आ गए, सायं 4.55 बजे हमें कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना होना था। ठीक 4.00 बजे हमारी ट्रेन प्लेटफार्म सं. 9 से हावड़ा स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। रास्ते में हरे–भरे बाग–बगीचे, खेत, प्राकृतिक सुंदरता तथा गाड़ी में सर्व किए गए पानी, नाश्ता, डिनर, सूप एवं आइसक्रीम का आनंद लेते हुए प्रातः 10.00 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां से टैक्सी लेकर अपने आवास पहुंचे जहां बच्चे बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। यह हमारी यात्रा का तीसरा संस्मरण है जिसमें हमने कार, बस, रेलगाड़ी, हवाईजहाज, समुद्री जहाज तथा मोटर बोट से तीनों जल, थल व वायु मार्ग के रोमांचक सफर का आनंद उठाया। यह जीवन का सबसे यादगार सफर रहेगा।

*सहा. पु. एवं सूचना अधिकारी (सेवानिवृत्त)*
*विस्तार निदेशालय*

# सिंगल यूज प्लास्टिक – एक भयानक खतरा

*–उदय प्रताप सिंह*

मनुष्य जब से इस दुनिया में आया है तभी से उसने अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक अनुसंधान किए और कई वस्तुओं की खोज की और उनका निर्माण भी किया। खोजी एवं निर्मित की गई अधिकतर चीजों ने मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाया भी है लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी निर्मित हो गईं जिसने मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाने की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाई है। उन्हीं चीजों में से एक है सिंगल यूज प्लास्टिक। जिसने न सिर्फ हमारे जीवन को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है बल्कि प्राकृतिक वातावरण के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे जीवन में इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। आज हमारा रहन–सहन, खाना–पीना, पहनावा ओढ़ावा कुछ भी इससे अछूता नहीं रह गया है। सस्ती होने के कारण इस प्लास्टिक ने गाँवों को भी नहीं छोड़ा और वहाँ भी अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है। गाँवों में भी अब इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। सिर्फ पाँच दशकों में ही सिंगल यूज प्लास्टिक दुनिया के लगभग सभी देशों में गहरी पैठ बना चुकी है। आज लगभग हर परिवार या यूँ कहें कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्लास्टिक का किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहा है। इस प्लास्टिक की अच्छाई–बुराई की चर्चा करने से पहले आओ यह जान लेते हैं कि आखिर यह सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या बला?

ऐसी प्लास्टिक जो मुख्यतः जीवाश्म ईंधन (फॉसिल यूल) आधारित कैमिकलों (पेट्रो कैमिकल) से बनी होती है और जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट कर दिया जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाती है। पॉलीथीन बैग, पानी या सोड़ा की बोतलें, कप, प्लेट, थाली, चम्मच, कटोरी, स्ट्रॉ, पैकिंग रैपर आदि ये सूची अंतहीन है। ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। किसी–किसी सिंगल यूज प्लास्टिक का जीवन तो दो मिनट से भी कम होता है जैसे; नारियल पानी पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्ट्रॉ। इसीलिए इन चीजों को 'यूज एण्ड थ्रो' भी कहा जाता है। यानी इस्तेमाल करो और फेंको, लेकिन अब यह फेंकना महंगा पड़ रहा है। महंगा भी इस हद तक कि अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक न सिर्फ जीवन के लिए खतरा बन गई है बल्कि संपूर्ण सृष्टि की तबाही का कारण बनती नजर आ रही है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावः जब हम इस प्लास्टिक

को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं तो यह प्लास्टिक अन्य तत्वों की भांति प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तित नहीं होती। यह प्लास्टिक मिट्टी नहीं बनती बल्कि मिट्टी में सैकड़ो वर्षों तक ऐसे ही दबी रहती है और छोटे–छोटे टुकड़ों में बटती रहती है। टुकड़ों में बटते समय इससे अत्यंत हानिकारक तत्व निकलते हैं जो न सिर्फ मिट्टी को प्रदूषित करते हैं बल्कि उस मिट्टी में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु को प्रदूषित कर देते हैं। इसी प्रकार यह प्लास्टिक तालाबों, नदियों, झीलों और समुद्र के जल को प्रदूषित करके जलीय जीवों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इन्हीं जलाशयों की मछलियों व अन्य समुद्री भोजन के माध्यम से प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले हानिकारक कैमिकल लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो बाद में जानलेवा बीमारियों का कारण बनते है। ये कैमिकल रक्त वाहिनियों में पाये गए हैं, एक नये शोध से यह भी पता चला है कि ये कैमिकल हमारे शरीर के पूरे अंतःस्रावी तंत्र (इंडोक्राइन सिस्टम) को प्रभावित करते है जिससे कैंसर, बांझपन, रोक प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि अन्य कई जानलेवा बीमारियों का जन्म होता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक ने हमारी सृष्टि को जितनी क्षति पहुंचाई है इसका सही–सही अंदाजा लागाना भी मुश्किल है। आज जिधर नज़र डालो उधर इस प्लास्टिक के अंबार लगे हुए हैं। पशु पक्षियों का जीना दूभर हो गया है। तालाबों, नदियों, झीलों और समुद्र में यह प्लास्टिक इतनी अधिक मात्रा में पहुंच गई है और प्रतिदिन पहुंच रही है कि सभी जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। इस प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले खतरनाक विषैले तत्वों के कारण अनेक जीवों की प्रजातियाँ समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक यदि हालात यही रहे तो 2050 तक समुद्र में फेंकी जाने वाली प्लास्टिक का भार समुद्र की सभी मछलियों के भार से भी अधिक हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। यूँ समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बहुत पहले बज चुकी है और हम सब कान बंद करके बैठे हुए हैं, जान–बूझ कर अनजान बने हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है और सभी सरकारें आँखें मूंदे हुए हैं, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। हमें समय रहते चेत जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि क्या दिन प्रतिदिन पर्वत जैसे होते जा रहे कूड़े के ढेर सरकारों को दिखते नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि यह समस्या का समाधान अब सरकारों के हाथ से निकल चुका है। अब तो जनता को इसके प्रति जागरूक करना ही एक मात्र विकल्प दिख रहा है। क्या जब ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं थी तब जीवन नहीं चलता था, जीवन तब भी चलता था और इससे अच्छा चलता था। क्या हम सब फिर से जूट या कपड़े के थैलों से आपना काम नहीं चला सकते हैं, थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार नहीं कर सकते। ऐसी सुविधा से क्या लाभ जिससे पशु पक्षियों, प्राणियों और जलीय जंतुओं यहाँ तक की हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन ही खतरे में पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में कुछ किया नहीं गया। लेकिन जो किया गया वह नाकाफी है। यह समस्या इतनी ज्यादा भयानक हो गई है। कि सिर्फ कानून बनाने से काम चलने वाला वाला नहीं है। इसके लिए कड़े कानूनों के साथ–साथ उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके बिना इस समस्या से मुक्ति पाना संभव नहीं है। जन जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए जनता की भागीदारी की आवश्यकता है। कोई भी काम असंभव नहीं होता है। यदि हम सब ठान लें तो इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त खुशहाल भविष्य प्रदान कर सकते हैं।

*संपादक*
*राज्यसभा सचिवालय*
*भारत सरकार, नई दिल्ली*

# हिंदी प्रौद्योगिकी– समय की आवश्यकता

*–प्रो. रवि शर्मा 'मधुप'*

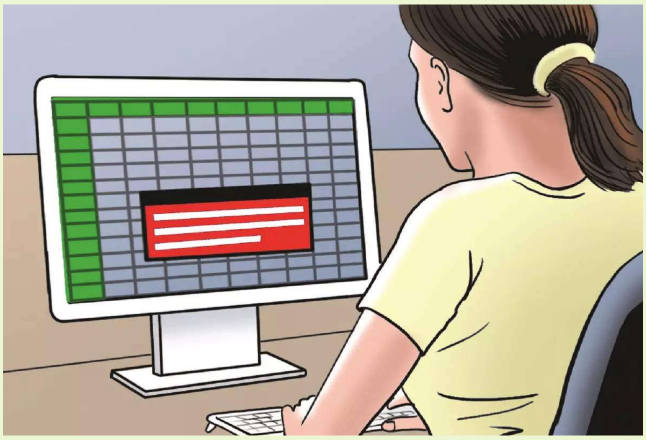

वर्तमान दौर में कोई भी भाषा बिना प्रौद्योगिकी की सहायता के आगे नहीं बढ़ सकती। प्रौद्योगिकी का अर्थ है– विभिन्न तकनीकी साधन, चाहे वह टाइपराइटर हो या कंप्यूटर के विभिन्न रूप, जिसकी सहायता से किसी भी भाषा को समय और स्थान की सीमाओं से आगे पल भर में देश दुनिया के कोने–कोने तक पहुँचाना संभव हो पाता है। जहाँ तक प्रौद्योगिकी का प्रश्न है यदि हम पीछे जाएँ, तो छापेखाने की शुरुआत से लेकर टाइपराइटर तक का दौर इसका आदिकाल और मध्यकाल माना जा सकता है।

यंत्रों की सहायता से किसी भी भाषा में विद्यमान ज्ञान–विज्ञान, साहित्य आदि को लिखित रूप में शीघ्रता से किसी भी स्थान तक पहुँचाना संभव हो पाया। इसी कड़ी में 20वीं सदी के अंत में कंप्यूटर के बढ़ते कदमों ने भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव कर दिखाया। कंप्यूटर जैसे–जैसे आगे बढ़ा, हिंदी और भारतीय भाषाओं के शुभचिंतक चिंतित होते चले गए। उनकी चिंता स्वाभाविक थी। यह प्रौद्योगिकी प्रारंभ में केवल अंग्रेजी में ही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद भारतीय भाषाएँ अब समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगी।

विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत की बड़ी बेटी हिंदी, विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। 1000 वर्ष के इतिहास में हिंदी अनेक उतार–चढ़ावों, आक्रमणों, षड्यंत्रों को झेलते हुए निरंतर आगे बढ़ती रही है। कभी–कभार ही उसे शासन और सरकार का सहयोग मिला, प्रायः ऐसा नहीं हुआ। मध्यकाल में राजकाज की भाषा फारसी थी और उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी बना दी गई।

स्वतंत्रता के बाद हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इसमें यंत्रों की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। इसी उद्देश्य से हिंदी टाइपराइटर बनाया गया। यह हिंदी प्रौद्योगिकी की दिशा में पहला महत्त्वपूर्ण कदम था। टाइपराइटर के आने से हिंदी की वर्तनी में अनेक आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े। चाहे वह संयुक्त व्यंजनों को अलग करके लिखने की बात हो या अनुस्वार का प्रयोग बढ़ाने की बात हो या कुछ पुराने रूपों को छोड़कर नए रूपों को अपनाने का प्रश्न हो।

भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय विद्वानों की समितियों द्वारा हिंदी की वर्तनी और देवनागरी लिपि में सन 1966 के बाद निरंतर परिवर्तन किए जाते रहे। हिंदी टाइपराइटर आने से

जहाँ एक ओर हिंदी, अंग्रेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी, सरकारी कामकाज, पत्राचार तथा शासकीय साहित्य हिंदी में उपलब्ध हुआ, वहाँ टाइपराइटर की सीमाओं के कारण कुछ शब्दों की वर्तनी में अशुद्धियाँ प्रचलित होती चली गईं। उदाहरण के लिए श्रृंगार, श्रृंखला, चिन्ह जैसे अशुद्ध शब्दरूप देखे जा सकते हैं।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नवीन यंत्र प्रवेश कर रहा था, वह था – कंप्यूटर। कंप्यूटर शुरू में भारत में अंग्रेजी में काम करता था। कुछ ही समय में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों को यह बात समझ में आ गई कि यदि भारत में हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, धन कमाना है, तो केवल अंग्रेजी में बने कंप्यूटर से काम नहीं चलने वाला। भविष्य पर निगाह रखते हुए उन्होंने तुरंत हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिए। सी–डेक, पुणे ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया।

हिंदी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, यह बात सर्वसम्मत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है–'जैसा बोलते हैं, वैसा लिखते हैं।' इसमें प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए विशेष चिह्न निर्धारित है और प्रत्येक लिपि चिह्न केवल एक ही ध्वनि को व्यंजित करता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि भाषाओं में ऐसी स्पष्टता, वैज्ञानिकता और शुद्धता दिखाई नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में 'क' ध्वनि के लिए 5 लिपि चिह्न प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वर्ण 'ए' के द्वारा अलग–अलग शब्दों में तीन अलग–अलग ध्वनियाँ व्यंजित होती हैं।

हिंदी की इसी वैज्ञानिकता ने कंप्यूटर निर्माताओं को आकर्षित किया। एक बार कंप्यूटर के बेताज बादशाह बिल गेट्स से जब किसी संवाददाता सम्मेलन में यह प्रश्न किया गया कि कंप्यूटर के लिए कौन–सी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने बिना एक क्षण गँवाए कहा–'संस्कृत'। संवाददाता शायद कंप्यूटर की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में अंग्रेजी को सुनना चाहता था इसलिए उसने अगला प्रश्न किया, "यदि संस्कृत नहीं तो कौन–सी अन्य भाषा ?" जवाब इस बार बहुत चौंकाने वाला था। बिल गेट्स ने कहा, "यदि संस्कृत नहीं, तो हिंदी।" इसका मुख्य कारण यही है कि हिंदी में उच्चारण लेखन में स्पष्टता है। इसकी लिपि बहुत वैज्ञानिक है। वर्णों का विभाजन – स्वर और व्यंजन में, बहुत विशिष्ट प्रकार से किया गया है। प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिह्न और प्रत्येक लिपि चिह्न केवल एक ध्वनि के लिए प्रयुक्त होना, ये सब बातें हिंदी को कंप्यूटर के लिए भी सर्वश्रेष्ठ भाषा सिद्ध करती हैं।

हिंदी के महत्त्व को समझते हुए कंप्यूटर कंपनियों में अतिशीघ्र सभी प्रकार के कार्य करना संभव बना दिया। प्रारंभ में फोंट की समस्या आई, जिसे यूनिकोड द्वारा सुलझा लिया गया। वाक् से पाठ सॉटवेयर भी शुरू में कुछ परेशानियाँ झेल रहा था, शीघ्र ही उसे भी अधिकतम शुद्ध लिखने में सक्षम बना दिया गया। यही हिंदी की ताकत थी। इसी क्रम में हिंदी प्रौद्योगिकी निरंतर आगे बढ़ती गई और कंप्यूटर पर हिंदी का कार्य बेहतर से बेहतरीन होता चला गया। समय के साथ–साथ कदम मिलाते हुए हिंदी में वाक् से पाठ, वर्तनी जाँच, अशुद्धि शोधन, शब्दकोश, मशीनी अनुवाद जैसी बहुत से नई–नई सुविधाएँ जुड़ती चली गईं। आज इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है – हिंदी। इंटरनेट पर हिंदी की सामग्री दिन दुगनी, रात चौगुनी बढ़ रही है। सोशल मीडिया हिंदी की वजह से फल–फूल रहा है। हिंदी प्रौद्योगिकी में निरंतर नए शोध कार्य हो रहे हैं, जो आने वाले समय में हिंदी को आगे बढ़ाते हुए विश्व भाषा बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

*प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,*
*हिंदी विभाग, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स,*
*दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007*

# तकनीकी विषय और राजभाषा – वर्तमान स्थिति

–राकेश कुमार

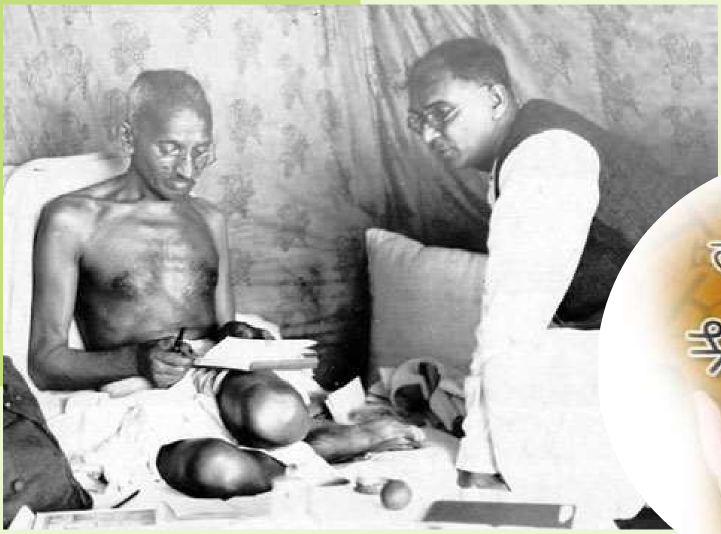

भाषा को यदि सीमित रूप में देखा जाय तो यह केवल सम्प्रेषण का माध्यम मात्र होती है। भाषा को यदि राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाय तो भाषा केवल सम्प्रेषण का माध्यम ही नहीं होती, उस देश की संस्कृति की संवाहिका भी होती है। यह उस देश की राष्ट्रीय पहचान और सभ्यता का भी प्रतीक होती है। राष्ट्र–भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है और यदि वह अपनी राष्ट्र–भाषा के स्थान पर किसी अन्य भाषा का प्रयोग करता है तो वह अपनी संस्कृति और परम्पराओं से हमेशा के लिये दूर हो जाता है। यह बात, कामकाज की भाषा और बोलचाल की भाषा, दोनों ही स्थितियों में लागू होती है।

भारत की संविधान सभा ने, 14 सितम्बर, 1949 को, हिंदी को संघ की राजभाषा तथा देवनागरी को इसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता प्रदान की। दुर्भाग्य से हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अभी भी हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा (National Language) और राजभाषा (Official Language) बनाने की कवायद जारी है। भाषा के संबंध में जितनी विविधताएँ हमारे देश में हैं, उतनी विविधताएँ संभवतः दुनियाँ के किसी भी देश में नहीं हैं। संविधान की आठ्वीं अनुसूची में 22 राष्ट्रीय भाषाएँ हैं तथा देश में 250 से अधिक बोलियाँ बोली जाती हैं।

यह आम मानसिकता है कि हिंदी में विज्ञान और तकनीकी विषयों की पढ़ाई तथा अनुसंधान कार्य करना उतना आसान नहीं है जितना अँग्रेजी में। दुर्भाग्य से हमारी मानसिकता अँग्रेजी को ही ज्ञान का प्रतीक मानने की है। हम इस विदेशी भाषा को ज्ञान के भंडार के रूप में देखते हैं। जबकि हम जानते हैं कि भाषा किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने का केवल एक माध्यम होती है और उसका ज्ञान से कोई लेना–देना नहीं है। यदि ऐसा होता तो चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस जैसे विकसित देश, जहां अँग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं होता, केवल अपनी भाषा के बलबूते पर आज इतनी उन्नति नहीं कर सकते थे। इन देशो ने, पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि ज्ञान और विज्ञान के दरवाजे किसी भी देश तथा किसी भी भाषा के लिए खुले हैं और वे अंग्रेजी भाषा के मोहताज नहीं

हैं।

कहते हैं कि कोई भी भाषा अथवा बोली यदि प्रचलन में नहीं रहती है तो वह लुप्त हो जाती है। इसलिए अपनी मातृभाषा का परस्पर–व्यवहार और अपनी राजभाषा का सतत प्रयोग नितांत आवश्यक है। वर्ष 1961 की जनगणना में भारत में कुल 1652 मातृभाषाओं की गणना की गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्ष 1971 की जनगणना में, केवल 109 मातृभाषाओं की ही जानकारी मिली। इनमें से कुछ मातृभाषाएँ तो ऐसी थीं जिनके बोलने वालों की संख्या 51,020 तथा 25 तक थी। यानि 10 वर्षों में अधिसंख्य मातृभाषाएँ विलुप्त हो गईं। यह स्थिति वास्तव में चिंताजनक है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने 16 मार्च, 2018 को इम्फाल में, 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगोष्ठी के उद्‌घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में यह कहा कि–

"पिछले कुछ दशकों में भारत, विज्ञान के क्षेत्र में चीन तथा अन्य देशों से पिछड़ गया है। परिस्थितियाँ बदलीं हैं लेकिन हमने जो अर्जित किया है, उतने में संतोष नहीं किया जाना चाहिए। भारत में विज्ञान के स्वरूप को बदलने के लिए अभी भी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात वर्ष 2017 तक, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी – खोजों पर खर्च को सकल घरेलू उत्पादन के कम से कम 2 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए जो अभी केवल 0.9 प्रतिशत है।"

श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी वैज्ञानिको से आह्वान किया कि वे भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति में अपना योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री ने छात्रों में विज्ञान और अभियांत्रिकी की शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने पर भी बल दिया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेशक यह बात विज्ञान के संदर्भ में कही थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में चीन जैसे देशों से पीछे है, परंतु सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। भाषा कि दृष्टि से देखें तो चीन ने यह तरक्की अपनी भाषा के माध्यम से ही की है। केवल चीन ही नहीं, बल्कि जापान, रूस, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे देश, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, भी आज विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। अब सोचने कि बात यह है कि विज्ञान का पठन–पाठन तथा अनुसंधान का कार्य यदि केवल अंग्रेजी में संभव होता तो ये देश कभी भी इतनी तरक्की नहीं कर सकते थे। इसका सीधा–सा अर्थ है कि किसी भी अनुसंधान, खोज तथा आविष्कार के लिए कोई भी भाषा माध्यम बन सकती है तो वह भाषा अपने देश की भाषा हिंदी क्यों नहीं बन सकती जो संयोग से, इस देश की राजभाषा,राष्ट्र–भाषा,जन–भाषा (Lingua & Franca) और संपर्क–भाषा भी है।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 राष्ट्रीय भाषाएँ, हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ भी हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त भी ऐसी कई भारतीय भाषाएँ हैं जिन्हें संविधान की अनुसूची में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। स्पष्ट है, कि यह प्रयास अपनी भाषाओं को संवैधानिक पहचान दिलाने के साथ–साथ भाषा की अस्मिता को बचाने तथा इसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में भी है। हमारे क्षेत्र विशेष की भाषाएँ – बृज, अवधी, मगही तथा बुंदेलखंडी बोलियाँ होने के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाएँ भी हैं तथा इनमे साहित्य रचना भी हुई है और ये भाषाएँ बहुत से लोगों की मातृभाषाएँ भी हैं।

विश्वभर में आज लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इस भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बन चुका है। आज हिंदी विश्वभाषा बन चुकी है। फिर भी हमारे बुद्धिजीवी इसे पिछड़े लोगो की भाषा मानते हैं। लोग आज भी अँग्रेजी बोलने में कुलीनता और हिंदी बोलने में हीनता का अनुभव करते हैं। सत्य तो यह है कि संस्कृत जैसी भाषा कम्प्युटर के लिए सर्वथा उपयुक्त भाषा मानी जाती है। इसी कारण इंग्लैंड और आइरलैंड में प्राइमरी कक्षाओ में भी इसे पढ़ाया जाता है। दुर्भाग्य से, यदि हमारे यहाँ इसे अनिवार्य बना दिया जाए तो कई हिंदीतर राज्यो से विरोध के स्वर उठने लगेंगे। यानि हमारी अपनी ही भाषा अपने ही देश में पराई कर दी जाती है।

आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम यह भूल गए हैं कि भाषा और साहित्य हमें संस्कार देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी उच्च भारतीय संस्कार प्राप्त करें तो उन्हें भाषा और साहित्य के करीब ले जाना होगा।

राजभाषा हिंदी का सरोकार व्यावहारिक रूप से कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग से है। हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम इसे अंगीकृत कर, दोयम दर्जे से ऊपर उठाकर इसे यथोचित सम्मान दिलाकर, शीर्षस्थ सोपान पर

प्रतिस्थापित कर, संवैधानिक उत्तरदायित्व के साथ–साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएँ। हिंदी जन–जन की भाषा है तथा देश–विदेश में हम भारतीयों के एक बड़े जन–समुदाय की संपर्क भाषा भी है। अतः राजभाषा हिंदी का क्रमिक संवर्धन करना हमारी मूलभूत आवश्यकता है जिसे विभिन्न पहलुओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वास्तव में हिंदी एक सेतु के रूप में काम कर रही है जो भारत की विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, भाषाओं, विधाओं, संप्रदायों, समाजों तथा संस्कारों को एक कड़ी में जोड़ती है।

हिंदी, स्वशासन तथा सुशासन का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि इस देश का आम नागरिक या तो क्षेत्रीय भाषा समझता है या फिर हिंदी भाषा और स्वशासन तथा सुशासन कभी भी किसी विदेशी भाषा के द्वारा संभव ही नहीं हो सकता। क्या स्थानीय शासन के रूप में गाँव की पंचायती–राज प्रणाली की कल्पना क्षेत्रीय अथवा हिंदी भाषा के बिना की जा सकती है ? आज आम आदमी मजबूरी के साथ हिंदी बोलता है और शिक्षित आदमी संकोच के साथ। यह स्थिति निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।

वर्तमान संदर्भ की बात करें तो हिंदी, चीन की मंदारिन के बाद, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अँग्रेजी आज भी तीसरे स्थान पर है। आंकड़ों की बात करें तो हिंदी विश्व के लगभग 135 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है तथा दुनिया के 93 देशों में बोली जाती है। कुल 115 करोड़ भारतीयों में से 70 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो लोग रहते हैं, उनकी भी संपर्क भाषा हिंदी ही है।

एक अच्छी खबर यह है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सेवा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने यह परीक्षा हिंदी में कराने की सिफारिश की है। पूर्व महा–निदेशक श्री जे.सी. काला की अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाया है कि भारतीय वन सेवा में अधिक से अधिक नौजवानों को अवसर मिलना चाहिये और इसके लिए परीक्षा हिंदी के साथ–साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। अभी यह परीक्षा केवल अंग्रेजी में होती है।

हाल ही में आस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत की सरकार नें अपने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में हिंदी को शामिल करने की सिफारिश की है। कनाडा में हिंदी–अब्रोड सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी अखबार है। रेडियो आस्ट्रेलिया द्वारा हिंदी वैबसाइट लांच की गई है। अमेरिका की पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी में एम.बी.ए. के छात्रों के लिए हिंदी का दो वर्षीय कोर्स अनिवार्य है। भारतीय विदेश मंत्रालय की संस्था, भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद, लगभग 60 देशों में वहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी के विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त करके भेजती है ताकि अन्य देशों में भी हिंदी का प्रसार किया जा सके। ये ख़बरें निश्चित रूप से सुखद हैं और हिंदी के तेजी से बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती हैं।

आज हिंदी माध्यम से विज्ञान, तकनीकी, व्यवसाय, समुद्र–विज्ञान, मौसम–विज्ञान, अन्तरिक्ष–विज्ञान आदि विषयों पर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब तक पर्याप्त हिंदी शब्दावली विकसित की जा चुकी है। हिंदी में मूल शब्दों की संख्या लगभग 2,50,000 हैं। हिंदी में हर अर्थ के लिए अलग–अलग शब्द हैं। अँग्रेजी में सही उच्चारण के लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है परंतु हिंदी में केवल अर्थ देखने के लिए ही शब्दकोश की जरूरत पड़ती है। आज अभियांत्रिकी से लेकर चिकित्सा–विज्ञान, परमाणु–ऊर्जा, वैमानिकी और जैव–प्रौद्योगिकी तक जैसे विषयों में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 64 वर्षों के बाद आज भी हमें हिंदी की दशा और दिशा के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता, समृद्धता, सहजता और सुगमता के बारे में जानने के बाद भी हम इसे दिल से अपनाने में असमर्थ रहे हैं। हिंदी के नाम पर आयोजन तो बहुत होते हैं पर इतने आयोजनों के बाद भी हिंदी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी है जहां इसे आज होना चाहिए था।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री विजय कुमार भार्गव ने वैज्ञानिक विषय पर अपना शोध–प्रबंध हिंदी में लिखा। उनका विश्वास था कि हिंदी में लिखा उनका शोध–प्रबंध ज्यादा प्रासंगिक, अर्थवान और सारगर्भित हो सकता है और इस शोध का फायदा एक बड़े हिंदी–भाषी वर्ग को भी मिल सकता है। यह एक अनुकरणीय शुरूआत थी। साथ–साथ उन्होंने अपना शोध–ग्रंथ अँग्रेजी में भी लिखा और इसे दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया। परीक्षकों को हिंदी

में लिखा गया शोध–ग्रंथ अँग्रेजी की तुलना में अधिक बेहतर लगा और उन्हें उपाधि हिंदी में लिखे शोध–ग्रंध के लिए मिली। क्या इसे हिंदी भाषा के क्षेत्र में एक नई आशा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये ?

पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में सुप्रसिद्ध विचारक श्री रामकरण सिंह का एक लेख छपा। इस लेख में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2004 में इन सेवाओं में 85 प्रतिशत उम्मीदवारों नें हिंदी विषय लिया और 20 प्रतिशत ने हिंदी माध्यम से परीक्षा दी। 20 सफल छात्रों में से 2 सफल छात्र हिंदी माध्यम के थे। श्री सिंह ने आंकड़े देकर अपने आलेख में यह साबित किया कि भारतीय भाषाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो क्या यह भाषा की लोकप्रियता, भाषा की क्षमता और भाषा के प्रति हमारे द्वारा दर्शाये जा रहे सम्मान के स्पष्ट संकेत नहीं हैं ?

अपनी भाषा के बारें में इतनी सारी बातें हों और आधुनिक संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार–माध्यमों और इंटरनेट की बात न हो तो यह चर्चा अधूरी ही मानी जाएगी। वर्तमान समय और आने वाला समय, कम्प्युटर क्रांति का समय है। आज व्यवसाय, दफ्तर का कामकाज, अंतर्राष्ट्रीय–संपर्क और अनेक सेवाओं हेतु कम्प्युटर हमारे जीवन से जुड़ गया है। जाहिर है कि जब कम्प्युटर इतना महत्वपूर्ण हो गया है तो कम्प्युटर को हिंदी से जोड़े बिना आप हिंदी के विकास की बात नहीं कर सकते और जब तक दफ्तरों में कार्यरत कम्प्युटर में हिंदी नहीं आएगी तब तक हिंदी के प्रयोग की बात करना बेमानी है।

कम्प्युटर पर हिंदी तथा अन्य 12 भारतीय भाषाओं में कार्य करने के लिये सी–डेक, पुणे की मदद से विकसित यूनिकोड–प्रणाली निश्चित रूप से उपयोगी, सरल और सहज है तथा निःशुल्क भी है। इसके अतिरिक्त अनुवाद हेतु–मंत्र, श्रुतलेखन हेतु–स्पीच टु टेक्स्ट, वाचान्तर, हिंदी सीखने हेतु विकसित–लीला–प्रबोध ा, प्रवीण, प्राज्ञ तथा अन्य ई–टूल्स ने आज कम्प्युटर पर हिंदी के काम–काज को अत्यंत सुविधायुक्त और सरल बना दिया है।

सरकारी कामकाज हिंदी में करने के संदर्भ में, हिंदी भाषा के मानकीकरण पर चर्चा करना आवश्यक है। जब हम आपसी व्यवहार में अँग्रेजी का प्रयोग करते हैं तो प्रयास करते हैं कि कठिन से कठिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें ताकि हमारे अंग्रेजी ज्ञान पर किसी को कोई संदेह न हो। जब हिंदी की बात आती है तो हम सरल, आसान हिंदी की अपेक्षा करते हैं। सरकारी प्रयोग में सरल, सहज, प्रचलित और आसान हिंदी के प्रयोग की छूट हमें उपलब्ध है किन्तु फिर भी हम इसके प्रयोग से कतराते हैं। इस दिशा में भी गंभीरता से सोचे जाने की आवश्यकता है।

प्रख्यात चिंतक मैक्समूलर ने भाषा के संबंध में अपना व्याख्यान देते हुये कहा कि–"यदि भाषा प्रकृति की देन है तो अवश्य ही यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है और यह रचना प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित रखी है। भाषा निश्चय ही मानव को मिली सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, जो श्रृष्टि के समस्त से उसे सदैव उच्चतर बनाती आई है।" इसी भाव को धारण किए, आज हिंदी एक सशक्त, सरल, समृद्ध और लोकप्रिय भाषा है। समृद्ध साहित्यिक धरोहर, लोकप्रिय हिंदी सिनेमा, दूरदर्शन के लुभावने हिंदी चैनल, विज्ञापनों में हिंदी का बढ़ता प्रयोग एवं जन भाषा, लोक भाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का फैलता प्रभाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हिंदी को सही मायनों में सरकारी दफ्तरों की भाषा बनाना है तो इसे वरिष्ठ कार्यपालकों की भाषा बनाना होगा। जब शीर्ष स्तर से हिंदी का प्रयोग शुरू होगा तो इसका असर अधीनस्थ कार्मिकों पर भी पड़ेगा। तभी हिंदी हाशिए से उठकर मुख्यधारा में आ सकेगी। साथ ही, यह भी देखना होगा कि कहीं हिंदी, समारोहों, संगोष्ठियों तथा अन्य औपचारिक आयोजनों के बोझ तले दबकर न रह जाय और हम हिंदी के नाम पर औपचारिकताओं के महाजाल में अपने मूल उद्देश्य को ही न भूल जाएँ। भाषा के लिए भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए बल्कि काम के लिए भाषा का प्रयोग होना चाहिए।

तो आइये, हम भाषा के इस पुनीत राष्ट्रीय दायित्व में मन, वचन और कर्म से अपना योगदान प्रदान करें।

जय हिन्द ! जय हिंदी !

*निदेशक*

*गृह मंत्रालय, नई दिल्ली*

# हिंदी भाषा

*–गौरीशंकर वैश्य 'विनम्र'*

जाने कितने वर्ष बिताए, घोर निराशा में।
आओ! हम सब काम करें अब, हिंदी भाषा में।

घुली हुई संस्कृत की ममता
बोली – वाणी में,
शिक्षा की उज्ज्वल भविष्य छवि
है कल्याणी में,
संविधान की शक्ति निहित, जनहित परिभाषा में।

भक्तों, संतों, कवियों ने,
हिंदी की अलख जगाई,
राष्ट्रधर्म की स्वरलहरी में
संस्कृति महिमा गाई,

कथनी – करनी भेद मिटा दें, मंगल आशा में।
आओ! हम सब काम करें अब, हिंदी भाषा में।

हिंदी सरल, सुबोध, समुन्नत
अक्षर न्यारे – न्यारे,
देवनागरी लिपि वैज्ञानिक
ज्ञान स्वरूप सँवारे,

खोल खिड़कियाँ कंप्यूटर, देखे प्रत्याशा में।

पढ़ें – लिखें, बोलें, बतियाएं,
निज भाषा अपनाएं,
अन्य सहेली भाषाओं से
कोष समृद्ध बनाएं,

जनसंचार माध्यम रत, विनम्र, अभिलाषा में।
आओ! हम सब काम करें अब, हिंदी भाषा में।

विकासनगर
लखनऊ–226022

# "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
# गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।।

–सुरेखा शर्मा

प्रतिवर्ष 5 सितंबर का दिन सम्पूर्ण भारत वर्ष में 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। सर्व विदित है महान दार्शनिक, लोकप्रिय शिक्षक सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन का जन्म दिवस ही ''शिक्षक दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शैव तीर्थ तिरुत्रणी में हुआ था ।

भारत माता के ये सच्चे सपूत, भारतीय संस्कृति के उपासक राष्ट्रपति बनने से पहले शिक्षक थे। विद्वानों तथा शिक्षकों के प्रति अत्यधिक लगाव था। इनका मानना था कि भारत का भविष्य भारत के शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। बच्चे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। उनका मार्ग दर्शन केवल शिक्षक ही कर सकता है। वे भारतीय दर्शन के साथ–साथ पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के भी ज्ञाता थे। उन्होंने भारतीय दर्शन पर शोधपूर्ण चिंतन–मनन किया। दार्शनिक के रूप उन्होंने विदेशों में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की ।

जब वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे,तब भी उनकी सोच यही थी कि मैं पहले शिक्षक हूँ बाद में कुछ और। अंग्रेजी के महान ज्ञाता होते हुए भी वे अंग्रेजी रहन–सहन से दूर रहे। राष्ट्रपति के पद पर होने के बाद भी उन्होंने भारतीय परिधान को नही छोड़ा। उनका सादगीपूर्ण जीवन, तीव्र बुद्धि और भारतवासियों के प्रति प्यार के कारण उन्हें प्रत्येक भारतवासी से भरपूर प्यार मिला। चारों ओर फैले अंधकार में आशा की एक किरण के रूप में भारत के राष्ट्रपति बने और उस किरण से देश को आलोकित कर दिया।

डॉ. राधा कृष्णन उच्च आदर्शवादी थे। वे एक आस्तिक दार्शनिक थे और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने शिक्षकों के ऊपर देश के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था कि शिक्षक ही देश का निर्माता होता है। अतः उनके जन्मदिन को पूरे भारत में ''शिक्षक दिवस'' के रूप में मनाया जाने लगा ।

शिक्षक व शिष्य राष्ट्र की रीढ़ कहलाते है। यही समाज की दिशा तय करते हैं। स्वाभाविक है ऐसे में इस विशिष्ट वर्ग से देश व समाज को अपेक्षाएं भी होंगी। पर आज हमारे समक्ष एक यक्ष प्रश्न खड़ा है। क्या शिक्षक वर्ग समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है ? क्या वह अपने शिष्यों का सही मार्गदर्शन कर रहा है। जिस पर चलकर वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। आज ज्ञान देना ही शिक्षक का एकमात्र कार्य नहीं रहा। आज ज्ञान तो वह अनेक साधनों से अर्थात् कम्प्यूटर से, गाइडों से, इन्टरनेट से गुगल से न जाने कितने अन्य साधनों से प्राप्त कर लेता है। आवश्यकता है तो

उसे चारित्रिक ज्ञान की। जिस नींव पर उसको संपूर्ण जीवन का भवन खड़ा करना है।

डॉ. राधा कृष्णन ने शिक्षकों के ऊपर देश के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था, 'गुरु–शिष्य का संबंध अनंत है, जो युगों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। एक गुरु ही उत्तम नागरिक तैयार कर सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने में गुरु ही सहायक बनता है। हमारे संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी सुंदर भवन को स्कूल या पाठशाला नहीं कहा जा सकता, जब तक उसमें शिक्षक व शिष्य न हों। एक का कार्य है शिक्षा देना व दूसरे का कार्य है शिक्षा लेना अर्थात् शिक्षक व शिक्षार्थी। अतः उस महान शिक्षक प्रणेता के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप ही यह दिवस 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाने की परंपरा चली हुई है।

आज के बदलते परिवेश में शिक्षक वर्ग गौण होता जा रहा है। इसके मूल में जाकर यदि सोचा जाए तो इसका जिम्मेदार भी स्वयं शिक्षक ही है। शिक्षकों के लिए छात्रों की कसौटी पर खरा उतरना तथा अपना चरित्र पारदर्शी रखना अति आवश्यक है, जो कि आज संदिग्धावस्था में है। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाता है कि अमूक शिक्षक ने अपनी छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया। बेरहमी से छात्रों की पिटाई भी की, तो संपूर्ण शिक्षक वर्ग व समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। उत्पीड़न के शिकार छात्र–छात्राएं आत्महत्या कर लेते हैं। स्कूलों में ताले जड़ दिए जाते हैं। तो क्या समाज शिक्षक वर्ग का सम्मान करेगा ? कदापि नहीं।

एक ज्वलंत प्रश्न यह भी उठ रहा है कि आज का छात्र वर्ग अनुशासनहीन होता जा रहा है। यह सत्य भी है, पर इसका दायित्व किस पर है ? प्रायः हम सारा दोष छात्रवर्ग पर मढ़ देते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारी राय है कि छात्र वर्ग तो दोषी है ही, पर अनुशासनहीनता की इस व्यापक प्रवृत्ति के पीछे मूल कारण भी कम नहीं है। शिक्षक वर्ग व अभिभावक वर्ग भी कम दोषी नहीं है। एक समय वह भी था जब माता–पिता अपने बच्चों को गुरु के सानिध्य में छोड़कर निश्चिन्त हो जाते थे। गुरु ही उन्हें जीवन की डगर पर चलना सिखाते थे। उसके भावी जीवन के निर्माण के लिए गुरु अपने जीवन की सारी शक्तियां लगाने को प्रतिक्षण तत्पर रहते थे। यही कारण था कि छात्रवर्ग स्वेच्छा से कड़े से कड़े अनुशासन का पालन करने में भी सुख का अनुभव करते थे। भारतीय परम्परानुसार आज के शिक्षक ने स्वयं को लोभ एवं अहंकार के फंदों से बचाकर निस्वार्थ और लगन से छात्रों का मार्ग प्रशस्त करने में लगाया होता तो आज का छात्र उसके इशारों पर नाचता फिरता। परंतु आज यह परम्परा समाप्त होती जा रही है। आज गुरु–शिष्य संबंधों में दरार पड़ने लगी है और दिन–पर–दिन गहरी होती जा रही है, जिसे भरना होगा।

लेकिन हम इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय छात्रों के रक्त में आज भी अपनी सभ्यता व संस्कृति के बीज पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। यदि आज भी शिक्षक वर्ग अपना आत्मविश्लेषण करके अपने पुनीत कर्तव्यों के प्रति सच्चाई और ईमानदारी बरतें तो अनुशासन जैसी समस्या का समाधान सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ी विडंबना आज क्या होगी जिस दिवस को हम सम्मानपूर्वक श्रध्दा सुमन अर्पित कर मनाते थे, वही आज समस्याओं व विशेष मुद्दों पर चर्चा व चिंतन के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष दिवस की साल भर प्रतीक्षा करते हैं। यदि 5 सितंबर न आए तो शायद ही किसी का ध्यान शिक्षक समाज की ओर जाए। इस दिवस विशेष से जो संदेश मिलता था वह विलुप्त होता जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस दिन शिक्षकों को सम्मान देने के लिए छात्र वर्ग विद्यालय का कार्य भार अपने कंधों पर लेता है और शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है। आज यह परम्परा भी एक उत्सव का रूप ले रही है। जिससे इस दिन की गरिमा समाप्त हो रही है। जितना बड़ा स्कूल होगा उतने ही बड़े पाँच सितारा रेस्तरां में शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाएगा। वहां जाकर शिक्षक अपने संस्कार व संस्कृति भूलाकर असभ्य ढंग से अश्लील फिल्मी गीतों पर नृत्य करता है। क्या उसे यह शोभा देता है ? मनोरंजन करने के और भी अन्य तरीके हैं। स्थान व स्थिति देखकर ही अपना मनोरंजन करना चाहिए। क्या शालीनता से विद्यालयों में इसका आयोजन नहीं किया जा सकता ?

हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि "भारतीय गुरु का पतन है तो भारत का पतन निश्चित है।" किसी भी देश के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है 'चारित्रिक पतन'। चारित्रिक पतन तब

होता है जब देश की शिक्षा का पतन होता है और शिक्षा का पतन तब होता है जब गुरु का पतन होता है। गुरु का पतन क्यों होता है ? यह प्रश्न विचारणीय है। जिनके लिए इस दिन का विशेष महत्व होना चाहिए वही इससे दूर जा रहे हैं। आज गुरु अर्थात् शिक्षक अपना रास्ता भूला बैठा है। आज उसकी आँखे किसी शिष्य के मार्गदर्शन का कारक नहीं बन रही। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश वास्तविक रूप से उन्नति करे और शक्तिशाली राष्ट्र बने तो हमें भारतीय शिक्षक को उसके स्थान पर पुनः प्रतिस्थापित करना होगा। उसके लिए समाज को भी अपना धर्म निभाना होगा । शिक्षक को भी समझना होगा कि केवल 'अक्षर ज्ञान' देना मात्र ही उसका कर्तव्य नहीं अपितु उसका सही मार्गदर्शन भी करना होता है।

जब अभिभावक वर्ग शिक्षक समाज का सम्मान करेगा तो बच्चे क्या पीछे हटेंगे ? बच्चा घर व समाज से ही तो सीखता है। अध्यापक वर्ग चाहता है कि उसका सम्मान हो तथा पुनः 'गुरु –शिष्य परम्परा' का निर्वहन हो तो उसे भी समझना होगा कि केवल शिक्षा देना व मात्र नौकरी करना ही उसका उद्देश्य नही अपितु पूर्ण समर्पण की भावना लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करना होगा। सर्वप्रथम अपने चारित्रिक बल को सुदृढ करना होगा अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब समाज में शिक्षक का सम्मान तो दूर की बात है उनसे शिक्षा ग्रहण करना भी अपनी हीनता समझा जाएगा। इसके लिए आवश्यक है 'समर्पण'।

उसे अपने शिष्यों में सादगी, ईमानदारी, अनुशासन व आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करना होगा। जिससे समाज व राष्ट्र की उस पर श्रद्धा विश्वास बढ़े। साथ ही हमें यह संकल्प भी लेना होगा कि आज जितनी अवमानना शिक्षक वर्ग की हो रही है तथा जितना खिलवाड़ व परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है, उसे सुव्यवस्थित ढंग से संयोजित करना होगा। राष्ट्र और समाज उस पर विश्वास कर श्रद्धा के साथ उसको आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। उसे निम्न समझना एवं दयनीय अवस्था में देखने का अर्थ है अपनी भावी पीढ़ी को उसी के अनुरूप बनाना अर्थात् अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। अतः गुरु को भी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना होगा। निस्वार्थ भाव से कर्तव्यों का पालन करना होगा।

5 सितंबर का यह महान दिन शिक्षक वर्ग को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है कि उन्होंने इस धरती पर युवा वर्ग को शिक्षित करने के लिए ही जन्म लिया है। जो अध्यापक अपने मार्ग से भटक गए हैं उन्हें याद दिलाता है कि वे समाज के कर्णधार हैं। भावी नागरिकों का उज्ज्वल भविष्य निर्माण उनके हाथ में हैं। गुरु वह चाबी है, जिससे देश की प्रगति का ताला खुलता है। यदि चाबी खो जाए, घिस जाए या टूट जाए तो समूचा ताला बेकार हो जाता है अर्थात् बक्सा बंद का बंद रह जाता है। अतः हमारा बक्सा बंद न हो इस स्थिति से बचने के लिए हमें आज भारतीय प्रगति की चाबी अर्थात् भारतीय गुरु की स्थिति पर विचार करना होगा। उसे वही सम्मान देना होगा जो भारतीय संस्कृति की परम्परा है। गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताते हुए कबीर कहते हैं –

'गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय।।

*स्वतंत्र लेखिका/समीक्षक*
*पूर्व हिंदी सलाहकार सदस्य नीति आयोग,दिल्ली*
*गुरुग्राम–122001*

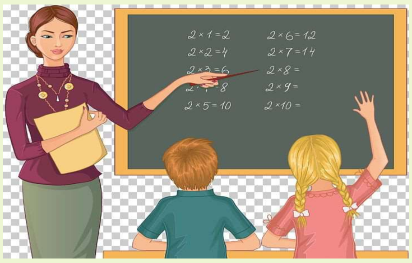

## निदेशालय में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक
## नियुक्त हुए पदाधिकारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती) | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | श्री रजनीश कुमार रंजन, एमटीएस | 05.08.2021 |
| 2. | श्री सचिन, एमटीएस | 09.08.2021 |
| 3. | श्री उज्जवल कुमार शर्मा, एमटीएस | 09.08.2021 |
| 4. | श्री पंकज कुमार, एमटीएस | 08.08.2021 |
| 5. | श्री आदित्य नारायण, एमटीएस | 13.08.2021 |
| 6. | श्री आकाश कुमार केसरी, एमटीएस | 16.08.2021 |
| 7. | श्री भानु प्रताप सिंह, एमटीएस | 16.08.2021 |
| 8. | श्री अरविन्द गुप्ता, एमटीएस | 27.08.2021 |
| 9. | श्री कृष्ण कुमार, एमटीएस | 01.10.2021 |
| 10. | श्री अभिषेक कुमार, एमटीएस | 14.10.2021 |
| 11. | श्री जिष्णु के.जे. (क्षे.गृ.अर्थशास्त्री) | 03.01.2022 |
| 12. | श्रीमती दीपा पाण्डे, उप-निदेशक (प्रशासन) | 15.02.2022 |

## निदेशालय में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक
## सेवानिवृत्त हुए एवं त्याग पत्र देने वाले पदाधिकारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती) | सेवानिवृत्ति/ त्याग पत्र की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | श्री पी. एस. पंवार, कैमरामैन-कम-प्लेटमेकर | 06.06.2021 |
| 2. | श्री प्रेम किशोर, सहायक विस्तार अधिकारी | 01.07.2021 |
| 3. | श्री वाई. सत्यनारायण, सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 31.07.2021 |
| 4. | श्रीमती कश्मीरा, फोटोग्राफर | 31.10.2021 |
| 5. | श्री अरविंद कुमार, अवर श्रेणी लिपिक | 12.11.2021 |
| 6. | श्री कृष्ण कुमार, एमटीएस | 18.12.2021 |
| 7. | श्री उत्तम कुमार भगत, अवर श्रेणी लिपिक | 29.12.2021 |
| 8. | श्रीमती ममता भाटिया, प्रवर श्रेणी लिपिक | 01.02.2022 |
| 9. | श्रीमती प्रेम सैनी, आशुलिपिक | 31.01.2022 |
| 10. | श्री सविन्द्र कुमार, सहायक पुस्त. एवं सूचना अधिकारी | 31.01.2022 |
| 11. | श्री आनंद, वरिष्ठ कलाकार | 31.01.2022 |
| 12. | श्री वाई.पी. भट्ट, उप निदेशक (प्रशासन) | 28.02.2022 |

## निदेशालय में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक
## दिवंगत हुए पदाधिकारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम एवं पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती) | दिवंगत की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | श्री गोपाल कृष्ण, अवर श्रेणी लिपिक | 28.05.2021 |

**‘‘हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।’’**

– कमलापति त्रिपाठी

# निदेशालय की दीवार पत्रिका